छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **पंचम सत्र**

सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2025
(फाल्गुन 19, शक सम्वत् 1946)

[अंक 10]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2025

(फाल्गुन 19, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

राष्ट्रकुल दिवस पर अनौपचारिक उल्लेख

अध्यक्ष महोदय :- जैसा कि आप सभी माननीय सदस्य अवगत होंगे कि समूचे विश्व में **राष्ट्रकुल दिवस** प्रतिवर्ष मार्च माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है।

तदनुसार, आज सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2025 को "राष्ट्रकुल दिवस" पर राष्ट्रकुल देशों ने **"Together We Thrive"** अर्थात् **"साथ रहें एवं आगे बढ़ें"** को राष्ट्रकुल दिवस का विषय निर्धारित किया है।

राष्ट्रकुल देश, बिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे 56 स्वतंत्र देशों का एक संघ है। विश्व की लगभग एक तिहाई आबादी, जिनमें धर्मो, जाति, संस्कृति, संप्रदाय एवं परंपराओं को मानने वाले नागरिकों का समूह राष्ट्रकुल में सम्मिलित है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है।

आईये, हम सब राष्ट्रकुल दिवस का विषय **"साथ रहें एवं आगे बढ़ें"** को मूलमंत्र मानते हुए, इस अवसर पर राष्ट्रकुल परिवार के 56 देशों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूष, असमानता, आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौतियों का समाधान खोजने और सभी देशों के मध्य शांतिपूर्ण एवं खुशहाल वातावरण तैयार करने का संकल्प लें।

आप सभी सम्माननीय सदस्यों को पुनश्च: राष्ट्रकुल दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

जन्मदिन की बधाई

श्री चैतराम अटामी, सदस्य

अध्यक्ष महोदय :- आज सदन के सदस्य माननीय श्री चैतराम अटामी जी का जन्मदिन है। मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं, कामना करता हूं आप सदैव स्वस्थ सुखी प्रसन्न बने रहें। (मेजों की थपथपाहट)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या क्रमांक- 1 श्री बघेल लखेश्वर।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस हिसाब से आज प्रदेश के पूर्व मुखिया ..।

अध्यक्ष महोदय :- जो भी विषय हैं, प्रश्नकाल के बाद करेंगे। पहले प्रश्नकाल ले लें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, आज जो भी विषय उठाने चाहें, शून्यकाल में उठायें ।

श्री कुवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- शून्यकाल में पर्याप्त समय रहता है, आप जितना बोलना चाहें, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। शून्यकाल का इंतजार करिये, प्रश्नकाल को बाधित मत करिये। यह आपके लिए उपयोगी है। आपने मेहनत करके प्रश्न लगाया है, बघेल जी, आपका पहला प्रश्न है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हमारे माननीय सदस्य जी के यहां..।

विक्रम मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से [xx] की जा रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बघेल जी, पहला प्रश्न आपका है। (व्यवधान)

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर ई.डी. के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, [xx] करवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कवासी लखमा जी, यहां पर भ्रष्टाचार के बारे में प्रश्न लगाते हैं, उनके यहां ई.डी. आ जाती है। दो दिन पहले प्रधानमंत्री आवास का प्रश्न लगाया जाता है, दो दिन बाद उनके यहां ई.डी. आ जाती है। अध्यक्ष महोदय, यह चल क्या रहा है? (व्यवधान)

श्री कुवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के यहां...(व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ई.डी. की कार्रवाई कहीं पर भी हो रही हो, यह ई.डी. की कार्रवाई विधान सभा का विषय नहीं है। (व्यवधान) यह राजनीति करने का मंच नहीं है। (व्यवधान) यह राजनीतिक इच्छाशक्ति की पूर्ति की जगह नहीं है। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- यह लोकतंत्र को दबाने का एक प्रयास है। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोग दो मिनट सुन तो लीजिये । आप अपने मुद्दे को बकायदा उठा सकते हैं लेकिन करोड़ों रूपये खर्च करके यह क्वेश्चन बना हुआ है, आप विरोध करिये या बैठ जाईये । आपके विरोध की गंभीरता तो इसी से दिखाई दे रही है । (व्यवधान) हो गया ।

श्री अजय चंद्राकर :- यह विषय ही नहीं है । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो देश की जनता के सवालों के लिये जवाब बना है और यह उसको रोक रहे हैं, यह कोई तरीका है ? (व्यवधान) अपनी राजनीति के लिये जनता के प्रश्नों का उत्तर इसमें आता है उसको ये लोग रोक रहे हैं । (व्यवधान) इनमें से अधिकांश को (व्यवधान) मिलता है । (व्यवधान)

(सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए)

अध्यक्ष महोदय :- यह प्रश्नकाल है और जिस विषय को उठाना चाह रहे हैं वह इस सदन का विषय नहीं है । प्रश्नकाल में इतना महत्वपूर्ण अवसर रहता है और आप प्रश्नकाल के बाद चूंकि शून्यकाल में आप अपनी बात रखें, मैं समय दूंगा । (व्यवधान)

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर प्रधानमंत्री आवास में प्रश्न लगा है और उसका उत्तर यह सरकार दे देती है तो यह संभावना नहीं होती । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपको अपनी बात कहने का पूरा अवसर दूंगा । प्रश्नकाल में आपके ही प्रश्न हैं, आपकी तैयारी है, करोड़ों रूपये खर्च होता है, अब आप प्रश्नकाल को बाधित करेंगे तो विधानसभा का क्या महत्व रह जायेगा ? आप लोगों का प्रश्न है इसलिये कृपया प्रश्नकाल चलने दें, आप शून्यकाल में जो भी बात करना चाहें, मैं उसके लिये आपको पूरा अवसर दूंगा ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुन लीजिये । यहां कवासी जी प्रश्न उठाते हैं, दो दिन बाद ई.डी. उनके यहां चली जाती है । (व्यवधान)

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गंभीर विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है । (व्यवधान) जो प्रश्न लगाता है, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाती है । (व्यवधान)

समय :
11.08 बजे (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते हुए गर्भगृह में आए)

श्री धर्मजीत सिंह :- ई.डी. ऑफिस में जाकर खड़े हो जाओ, अपना-अपना नाम लिखवा लो । (व्यवधान)

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गए)

समय :
11.09 बजे

गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

अध्यक्ष महोदय :- विधानसभा की प्रक्रिया और कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम-250 के उप नियम (1) के तहत् निम्न सदस्य अपना स्थान छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं -

1. श्री उमेश पटेल
2. श्री लखेश्वर बघेल
3. श्री दलेश्वर साहू
4. श्रीमती अंबिका मरकाम
5. श्री कुंवर सिंह निषाद
6. श्री इंद्रशाह मण्डावी
7. श्री विक्रम मण्डावी
8. श्री फूल सिंह राठिया
9. श्री बालेश्वर साहू
10. श्रीमती शेषराज हरवंश
11. श्रीमती चातुरी नंद
12. श्री संदीप साहू
13. श्री जनक ध्रुव

14. श्री ओंकार साहू

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जायें । मैं निलंबन की अवधि बाद में निर्धारित करूंगा ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहते हुए लगातार नारे लगाए गए)

श्री धर्मजीत सिंह :- कोरबा में कोयले में पैसा खाये हो, ई.डी. आ रही है तो तकलीफ क्यों हो रही है? कोरबा में पैसा खाये हो या नहीं ? क्यों संदीप? मैं तो सोचता हूं कि आप तो प्रश्न शुरू करवा दीजिए।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहते हुए लगातार नारे लगाए गए)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे गर्भगृह से बाहर चले जायें। उनका निलंबन हो चुका है। निलंबन की अवधि मैं बाद में तय करूंगा। अभी आपसे अनुरोध है कि आप गर्भगृह से बाहर जायें।

(माननीय सदस्य, श्रीमती अनिला भेंडिया द्वारा गर्भगृह में प्रवेश किया गया)

समय:
11.12 बजे

गर्भगृह में प्रवेश पर स्वयमेव निलंबन

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य श्रीमती अनिला भेंडिया अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उपनियम (1) के तहत् कार्यवाही से स्वयमेव निलंबित हो गई हैं। कृपया माननीय सदस्य बाहर जायें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहते हुए लगातार नारे लगाए गए)

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय जी, आप प्रश्नकाल प्रारंभ करवायें।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या 01, श्री बघेल लखेश्वर। प्रश्न संख्या 02, श्री विक्रम मंडावी। प्रश्न संख्या 03, श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते, अपना प्रश्न करें।

प्रश्न संख्या 1 : XX XX
प्रश्न संख्या 2 : XX XX

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहते हुए लगातार नारे लगाए गए)

प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी की भर्ती

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

3. (*क्र. 1599)श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के कितने पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद भरे गए है ? **(ख)** सरकार द्ग्रावारा ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया कब तक प्रारंभ की जावेगी? नहीं तो क्यों ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के 08 पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदों के विरूद्ध 05 पद भरे है। **(ख)** वित्त विभाग से सहमति उपरांत भर्ती प्रक्रिया की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- अध्यक्ष महोदय, प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में उद्यानिकी विभाग के संबंध में मैंने अपना प्रश्न किया है। महोदय, मेरे प्रतापपुर विधान सभा में विकासखंड प्रतापपुर के अंतर्गत 101 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें मात्र 3 उद्यानिकी विस्तार अधिकारी की नियुक्ति हुई है, उसी प्रकार विकासखंड वाड्रफनगर में 95 ग्राम पंचायतें हैं, जहां पर सिर्फ 2 उद्यानिकी विस्तार अधिकारी नियुक्त हैं, मैं इसके संबंध में माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, जवाब दें।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विधान सभा प्रतापपुर अंतर्गत उद्यानिकी विभाग के रिक्त पदों की जानकारी उन्होंने चाही थी और विभाग का उत्तर उन्हें दे दिया गया है। जहां तक रिक्त पदों की बात है, रिक्त पदों की जानकारी अगर हम देखें तो प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में 8 में से 3 रिक्त पद हैं। 5 पद भरे हैं और उसी प्रकार से सूरजपुर जिले की अगर बात करें तो सूरजपुर जिले अंतर्गत 11 पद रिक्त हैं और पूरे राज्य स्तर में 143 पद रिक्त हैं। हमने इन सब रिक्त पदों के भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की है और विभाग के द्वारा हम लोगों ने वित्त विभाग से अनुमति चाही है। वित्त विभाग से अनुमति मिलने के बाद हम इन रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र ही कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- शकुंलता जी, प्रश्न करिए।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं, चाहे वह सूक्ष्म सिंचाई योजना हो, पोषण योजना या यांत्रिकीकरण योजना हो, किसी भी योजना का लाभ बेहतर प्रचार-प्रसार के अभाव में ग्राम के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है और जिन व्यक्तियों तक पहुंच पा रहा है उन्हें भी योजना का लाभ लेने में काफी विलम्ब हो रहा है । प्रतापपुर विधान सभा में उद्यान के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं अगर सरकार द्वारा उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियां की जाती हैं तो निश्चित रूप से

आने वाले समय में जिस तरह से छत्तीसगढ़ ने अनाज, दलहन, तिलहन में पहचान बनाई है उसी तरह से उद्यानिकी विभाग में भी अपनी पहचान बनाएगा । मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहती हूं कि उद्यानिकी विभाग में जल्द से जल्द नियुक्तियां की जाएं । जिससे उन योजनाओं का लाभ क्षेत्र की जनता को मिल सके ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहकर निरंतर नारेबाजी की गई)

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, निश्चित ही माननीय सदस्या ने अपने क्षेत्र में रिक्त पदों के बारे में चिंता व्यक्त की है निश्चित ही पदों के रिक्त होने की वजह से विभाग की योजनाएं सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाती । इसलिए पूरी गंभीरता के साथ इसमें कार्यवाही करते हुए वित्त विभाग से रिक्त पदों को भरने के लिए अनुमति चाही गई है, वित्त विभाग के द्वारा रिक्त पदों को भरने की अनुमति जैसे ही मिलती है, वैसे ही हम इन पदों को भर देंगे और सबसे पहले प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में इन रिक्त पदों को भरेंगे ।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मेरे राजनीतिक गुरू भी रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद् ।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. चरणदास महंत के स्थान पर श्री बघेल लखेश्वर प्रश्न करेंगे । श्री बघेल लखेश्वर ।

प्रश्न संख्या : 4 XX XX

रायपुर नगर में वर्तमान में लागू मास्टर प्लान

[आवास एवं पर्यावरण]

5. (*क्र. 1024) श्री राजेश मूणत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायपुर नगर में वर्तमान में लागू मास्टर प्लान तैयार करने में किन-किन अधिकारी/कर्मचारीगणों की सहभागिता थी ? एक-एक नाम, पदनाम सहित पूर्ण विवरण दें। (ख) क्याक किसी भी शहर का मास्टर प्लान तैयार करते समय शहर में भविष्य में पार्किग की व्यवस्था, उद्यान का विस्तार, खेल मैदान की पर्याप्त संख्या, आम सभा या किसी बड़े कार्यक्रम के लिए विशाल स्थल, नागरिकों के सुगम आवागमन के लिए चौड़ी-चौड़ी सड़कें, आदि गाईडलाईन का ध्यान रख मास्टर प्लान तैयार किया जाता है? यदि हां तो क्या इस मास्टर प्लान को तैयार करते समय इन सब विषयों का ध्यान रखा गया? यदि नहीं तो क्यों तथा इसकी जिम्मेदारी किसकी है ? जिम्मेदारी का निष्पादन नहीं करने वालों पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) रायपुर नगर में वर्तमान में लागू मास्टर प्लान तैयार करने में सम्मिलित योजना दल में विभिन्न अधिकारी/कर्मचारीगण की सहभागिता थी, जो निम्नानुसार है:- (1) श्री जय प्रकाश मौर्य (आई.ए.एस.), संचालक (2) श्री संदीप बांगड़े, अपर संचालक (3) श्री भानुप्रताप सिंह पटेल, उपसंचालक (4) श्रीमती कमला सिंह, सहायक संचालक (5) श्रीमती रोजी सिन्हा, सहायक संचालक (6) श्रीमती मेघा चावड़ा, सहायक संचालक (7) श्री गणेश राम तुरकाने, सहायक संचालक (8) श्री ऐश्वर्य जायसवाल, सहायक संचालक (9) श्री चन्द्रशेखर जगत, सहायक संचालक (10) श्रीमती हेमा सिंह, वरिष्ठ शोध सहायक (11) श्रीमती ललिता अनिल बघेल, वरिष्ठ शोध सहायक (12) श्रीमती ममता दुबे, वरिष्ठ शोध सहायक (13) श्रीमती यमुना ध्रुव, वरिष्ठ मानचित्रकार (14) श्री बी. केरकट्टा, उप-अभियंता (15) श्री विवेक भारती, सहायक मानचित्रकार (ख) जी हॉ। उक्त के संबंध में (यूआरडीपीएफआई) दिशा निर्देशों एवं नियोजन मापदण्डों के अनुसार मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। जी, हॉ। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री राजेश मूणत :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैंने मंत्री जी से रायपुर के मास्टर प्लान के बारे में पूछा था । माननीय मंत्री जी ने जवाब में लिखा है कि मास्टर प्लान के लिए कमेटी बनाई गई, जिसकी जांच चल रही है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं मास्टर प्लान की कमेटी ने जो जांच प्रक्रिया की, उसमें उसने क्या-क्या सिफारिश की और उस पर क्या कार्रवाई की गई है, ज़रा स्पष्ट कर दें ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, 2031 तक के लिए रायपुर का जो मास्टर प्लान बनाया गया था, उसमें 163 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनकी जांच के लिए कमेटी गठित की गई है और शिकायतें बहुत ज्यादा हैं उनके निराकरण के लिए बहुत डीप में जाकर काम करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा समय लेगा है । बाकी इस पर कार्रवाई की जाएगी और जांच कमेटी के जो निष्कर्ष आएंगे उनके अनुसर एक्शन भी लिया जाएगा ।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जांच में बहुत सारी अनियमितताएं निकली हैं । मास्टर प्लान भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, 2031 तक रायपुर के डेव्हलपमेंट के विज़न के साथ, डेव्हलपमेंट कैसा होना चाहिए, कहां-कहां, क्या-क्या होना चाहिए । उन सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है । मैं आपके माध्यम से इतना पूछना चाहता हूं कि उसमें कौन-कौन सी कमियां निकलीं और वर्तमान में जो मास्टर प्लान लागू है क्या वह नया मास्टर प्लान है ? यह स्पष्ट कर दें ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहकर निरंतर नारेबाजी की गई)

श्री ओ.पी.चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, जो 163 शिकायतें की गई हैं, उन्हीं के आधार पर मैंने कहा कि प्रथम दृष्टया कुछ-कुछ बिंदुओं में विसंगतियां दिखती हैं हालांकि इस मास्टर प्लान को बनाते समय,

बहुत बड़ा एरिया बना दिया गया था उस प्वाइंट ऑफ व्यू से यूआरडीपीएफआई अर्बन एण्ड रिज़नल डेव्हलपमेंट प्लान फार्मुलेशन एण्ड इम्प्लीमेंटेशन गाइड लाईन का पालन किया जाना प्रथम दृष्टया तो नज़र आता है । जो उसकी प्रक्रिया है, धारा 4, धारा 17 (क), धारा 18(1), धारा 18(2), धारा 18(3), धारा 19(4), इन प्रक्रियाओं का पालन किया गया भी दिखता है लेकिन जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसमें भिन्न उपयोग दर्शित किये जाने के संबंध में, असंगत भू उपयोग के आधार पर परीक्षण के संबंध में (यूआरडीपीएफआई) गाईडलाईन के अनुसार आमोद-प्रमोद भूमि उपयोग के परीक्षण के संबंध में, जलाशय अंतर्गत दर्शित भू उपयोग का वर्तमान जलाशय एवं उनकी अवस्थिति के संबंध में परीक्षण एवं जांच, प्रस्तावित मिश्रित भू उपयोग का नियोजन मापदंडों के अनुरूप परीक्षण, मध्यवर्ती क्षेत्रों में मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई का परीक्षण। ये 6 प्रमुख बिन्दु हैं जिसके आधार पर जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, जांच की रिपोर्ट आते ही जो भी एक्शन लेना है वह निश्चित रूप से लिया जाएगा।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो खामियां थी, वह गिना दी, मास्टर प्लान निर्माण करने में किन-किन चीजों की त्रुटियां थी, वह आपने बता दी। आपके संज्ञान में स्पष्ट आया है कि लगभग 1487 आपत्तियां मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया है। इसमें 1487 आपत्तियां थी जिसके अंदर आपने 1031 आपत्तियों को खारिज किया, बची हुई आपत्तियों पर निराकरण के संबंध में कमेटी ने क्या निर्णय किया ? मैं यह पूछना चाहता हूं। दूसरा, जब कोई मास्टर प्लान की कल्पना होती है तो फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से होती है, आपने कोई लैंड यूच चेंज किया तो किस कारण किया ? लैंड यूज चेंज करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई ? जितनी एम.आर. वाली थी, वह विलोपित करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई ? मेरा इसके पीछे स्पष्ट मत है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जिस प्रकार से मास्टर प्लान को ले करके रायपुर शहर के अंदर भू माफियाओं, बिल्डरों के साथ सांठगांठ करके मास्टर प्लान का दुरूपयोग किया है, मेरा स्पष्ट आरोप है कि उसके अंदर आपने एम.आर. रोड निकाली है। जिस प्रकार से ट्रैफिक यातायात का घनत्व बढ़ता जा रहा है, आप एम.आर. रोड को विलोपित कर दे रहे हैं, इस क्या उद्देश्य है ? जरा स्पष्ट कर दें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहकर निरंतर नारेबाजी की गई)

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, वह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और उनके दृष्टिकोण से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। उन्होंने जो 1487 आपत्तियों की बात रखी है, वह दावा आपत्ति के समय रखी गई है, प्रारूप विकास योजना का प्रकाशन जिला स्तर पर धारा 18 (1) के अंतर्गत होता है, 15 नवंबर, 2022 को किया गया था, उसके तारतम्य में प्राप्त आपत्ति और सुझाव 1487 प्राप्त हुए थे, उसमें 352 मान्य हुए हैं, आंशिक मान्य 111 हुए हैं और अमान्य 1024 हुए हैं लेकिन अभी जो जांच समिति गठित की गई है, उसके समक्ष 163 शिकायतें आई हैं, जिन सड़कों की विलोपन की बात सम्माननीय सदस्य ने उठाई है, उसके संबंध में मैं स्पष्ट करना

चाहूंगा कि पुराने मास्टर प्लान में कुल 77 मार्ग थे, 70 मार्ग मिलन रोड पर एवं 7 बाहरी मार्ग थे। इसमें 77 मार्गों में से 4 मार्गों को विलोपित किया गया है। 73 मार्गों को मूलत: कुछ परिवर्तनों के साथ यथावत रखा गया है। इस मास्टर प्लान में जो क्षेत्र है, वह लगभग दोगुना हुआ है, उसमें 64 नवीन मार्ग भी प्रस्तावित हुए हैं जो 4 सड़क विलोपित किए गए हैं, उसमें जिला कमेटी की अनुशंसा आई है। हमारे जांच के जो बिन्दु हैं, जिससे मैंने अवगत कराया है लेकिन अगर सम्माननीय सदस्य इसे सम्मिलित करना चाहें तो हम इसको भी सम्मिलित कर सकते हैं।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा उद्देश्य किसी को लेकर नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य तो इस शहर के डेव्हलपमेंट प्लान के ऊपर है। इस राजधानी के विजन के साथ में आपने जो मास्टर प्लान बनाया, उस मास्टर प्लान में क्या आपने कोई रोड दर्शायी है ? आपने सालों-साल से वह रोड एम.आर. के रूप में दर्शा कर रखी है तो आज हमको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गयी कि उन रोड को विलोपित करना पड़ा ? दूसरा, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को एक उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि आप रायपुर के कलेक्टर रहे हैं, रायपुर नगर-निगम के कमिश्नर भी रहे हैं। आप रायपुर को भौगोलिक दृष्टि से जानते हैं और आज आप वित्त मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आप बहुत अच्छे प्रशासक भी रहे हैं। मैं आपको इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी दूरदृष्टि किसी की नहीं है। रायपुर शहर के मास्टर प्लान में मेरा फिर से एक मत है कि मास्टर प्लान में भू-माफियाओं और बिल्डर्स से मिलकर केवल उनको उपलब्ध कराने के लिए जमीनों का लैण्ड व्यूह चेंज किया गया। रायपुर शहर के मास्टर प्लान में आम जनता को कोई राहत नहीं मिली। ये जो 14 रोड विलोपित की गईं और इन विलोपित रोड के ऊपर जिन अधिकारियों ने रिकमेण्ड की तो क्या आप उनका एक बार पुन: परीक्षण कराएंगे ?

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहकर निरंतर नारेबाजी की गई)

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य की जो चिंता है, वह बहुत जायज है। मध्य क्षेत्र की जो सड़कें हैं, वह नक्शे में विलोपित कर दी गई हैं और उसकी सूची भी विलोपित कर दी गई है, लेकिन फिलहाल वह सड़कें नक्शे में हैं और जांच कमेटी के बाद हम लोगों ने भी उसके बिंदुओं को लिया है कि मध्य क्षेत्र में मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई का परीक्षण भी जांच के बिंदुओं में शामिल है। मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्य को यह स्पष्ट रूप से अवगत कराना चाहता हूं कि मध्य क्षेत्र की जो सड़कें नक्शे में हैं, उनकी सूची भी जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद प्रकाशित की जाएगी और वह सड़कें विलोपित नहीं होंगी।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा है कि वह सड़कें विलोपित नहीं होंगी तो आप मुझे यह स्पष्ट कर दीजिए कि तब तक वहां पर क्या पुराना मास्टर प्लान लागू रहेगा या नया मास्टर प्लान लागू रहेगा ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य क्षेत्र की जो सड़कें नक्शे में हैं, उसकी सूची गायब दिखती है। लेकिन वह सड़कें नक्शे में हैं और कोई भी नक्शा पास करते हुए तथा विकास अनुज्ञा देते हुए नक्शे के आधार पर उसे मानकर ही उसकी अनुमति दी जायेगी।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि उन रोड के ऊपर भू-माफियाओं ने प्लान काटकर बेच दिया। एक प्लान की 10-20 एकड़ की जमीन के बीच से रोड जा रही है, उसको विलोपित कर दिया गया है और केवल उस व्यक्ति को उपलब्ध कराने के लिए वह रोड विलोपित कर दी गई है। मैं आपको ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं, जहां रेसिडेंसियल हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत लंबा और शहर का विषय है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या मास्टर प्लान लागू करने के पहले शहर को अलग-अलग जोनों में बांटा गया ? यदि बांटा गया तो क्या वहां पर व्यापार डेव्हलपमेंट करने के लिए कोई योजना, वहां पी.एस.पी. की कोई योजना, वहां फ्यूचर प्लानिंग के लिए किसी प्रकार की कोई योजना इस मास्टर प्लान में कहीं दर्शित हुई थी ? वह दर्शित नहीं हुई थी। एक तरफ केवल पूरा-पूरा ग्रीन बेल्ट कर दिया गया और दूसरी तरफा पूरा का पूरा रेसिडेंसियल कर दिया। आपके संज्ञान में ये चीजें आई हैं। मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि राजकुमार कॉलेज की मेन डोर में 240 फीट की रोड थी, वह इसलिए थी क्योंकि उसके दोनों तरफ एजुकेशन हब है। एक तरफ एन.आई.टी. है और दूसरी तरफ आयुर्वेदिक कॉलेज है। मैं रविशंकर विश्वविद्यालय में भी 10 साल तक रहा हूं। कई लोगों ने अपील की, लेकिन एजुकेशन हब होने के कारण हम लोगों ने कहीं पर उसकी चौड़ाई खत्म नहीं की। लेकिन आपकी पूर्ववर्ती सरकार ने उसको कम करके 140 फीट कर दिया और पूरा कॉमर्शियल के लिए खोल दिया। वह पूरा एजुकेशन हब बर्बाद हो गया। इस प्रकार का यह जो स्वार्थपूर्ण बंटवारा हुआ है तो इसमें मेरा आपसे आग्रह है कि एजुकेशन हब को सुरक्षित रखने के लिए पहले यथावत जो प्रावधान थे, क्या वह प्रावधान पुन: किये जांएगे ?

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहकर निरंतर नारेबाजी की गई)

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम इस मास्टर प्लान के बनाने की प्रक्रिया को देखते हैं तो हमको उन प्रक्रियाओं का पूरा पालन किया हुआ प्राइमाफेसी दिखता है और इसके जो नॉम्स हैं, वह बहुत वृहद नॉम्स हैं, जिसमें वह आवासीय का एरिया डिफाइन करता है। वह 36 से 38 प्रतिशत है, उसको भी 39 प्रतिशत कर पालन कर लिया है। वाणिज्यिक, औद्योगिक, सबमें पालन कर लेते हैं। लेकिन एरिये को डबल कर दिया गया, उसके कारण हो सकता है कि अनेक अंदर-अंदर की स्थितियों में गड़बड़ किया गया होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्य को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो सड़कें modified की गई है, वह जांच समिति के दायरे में है और उसको जांच में लिया जायेगा। माननीय सदस्य ने राजकुमार कॉलेज की सड़क का विषय उठाया है।

राजकुमार कॉलेज सड़क की चौड़ाई पहले 67 मीटर थी, वह 45 मीटर की गई है। सड़क के दोनों ओर लैण्ड यूज को P.S.P. किया गया है। P.S.P. में एजुकेशन सब आता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि अगर उसमें कोई भी विषय है, तो उसको हमें लिखित में दे दें। हम जांच कमेटी की रिपोर्ट में शामिल करके ठीक कराने का काम करेंगे।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष जी, बहतु महत्व का विषय है। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जिस प्रकार से मास्टर प्लान का निर्माण होता है, उसके अंदर इतना प्रतिशत लैण्ड यूज P.S.P. के लिए आरक्षित करना है। इतना प्रतिशत लैण्ड रेसीडेंसियल के लिए आरक्षित करना है, इतना एरिया ग्रीन बेल्ट के लिए छोड़ना है और आपको इतना जमीन कामर्शिलय के लिए छोड़ना है। क्या रायपुर के सराउण्डिग चारों तरफ इसके नार्म्स का पालन किया गया है या नहीं किया गया है ? यह मेरा स्पेसीफिक प्रश्न है। आपने एक तरफ पूरा छोड़ दिया है और आपने एक तरफ रेसीडेंसियल कर दिया, यही सबसे बड़ा गेप है। जब मास्टर प्लान बनता है तो शहर की एकरूपता के हिसाब से बनता है। फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से बनता है ताकि एक तरफ कामर्शियल हो, रेसीडेन्सियल भी हो, P.S.P. भी हो, कॉलेज भी हो, उद्‌यान भी हो।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके अधिकारी और एजेंसी ने एक तरफा छोड़ा है, क्या उसकी जांच कराकर चारों तरफ एक जैसा विकसित प्लानिंग योजना करेंगे ? यह आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न यह है कि राजकुमार कॉलेज का कामर्शियल नक्शा पास होने पर, आपने P.S.P. कहा है। उस सड़क पर कामर्शियल नक्शा निगम पास कर रहा है, क्या उसे एजुकेशन हब के लिए आरक्षित करेंगे ? आप यह स्पष्ट घोषणा कर दीजिये ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लैण्ड यूज का परसेन्टेज है, अगर वह कहीं पर कम हुआ है तो उसको भी जांच के बिन्दु में शामिल कर कार्रवाई करेंगे ? राजकुमार कॉलेज का P.S.P. लैण्ड यूज है, वही एलाउ किया जायेगा। फिर से अलग-अलग P.S.P. नहीं करेंगे। हम जांच में परीक्षण करके इस बात को सुनिश्चित करेंगे।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्‌वारा गर्भगृह में रहकर निरंतर नारेबाजी की गई)

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष जी, दो मिनट लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- अब क्या लोगे ?

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें एक प्रश्न है। आपने जो कहा है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और आप रायपुर को जानते हैं। आप निगम के कमिश्नर भी रहे हैं। यह जो लैण्ड यूज है, शहर के सराउण्डिग चारों तरफ, खाली एक तरफ का

लैण्ड यूज चेंज हुआ है। अगर रेसीडेंसियल हो तो चारो तरफ होना चाहिए। यदि कामर्शियल हो तो चारों तरफ होना चाहिए। P.S.P. है तो चारों तरफ होना चाहिए। मूल उद्देश्य यह है कि शहर के चारों तरफ डेवलपमेंट होना चाहिए। उस दृष्टि से मास्टर प्लान का निर्माण होना चाहिए। जब तक नया मास्टर प्लान लागू नहीं होता है, तब तक इस मास्टर प्लान के अंदर कोई समय-सीमा निर्धारित करके, अध्यक्ष महोदय, अभी नये मास्टर प्लान की आड़ में नक्शे पास हो रहे हैं और यह चलते रहेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि आप इस पर रोक लगाकर जितनी जल्दी हो, इसका निर्णय कर दें, यही मेरा आपसे आग्रह है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहकर निरंतर नारेबाजी की गई)

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जो मास्टर प्लान था, वह लगभग 16 हजार हैक्टेयर का था, बाद में जो नये मास्टर प्लान का एरिया 35 हजार हैक्टेयर बन गया है। इसी कारण से परसेंट को मेन्टेन किया गया है, प्रथम दृष्टयां ऐसा लगता है। माननीय सदस्य की चिंता बिलकुल जायज है एक एरिया को पूरा P.S.P. कर दिया, कुछ गांवों को पूरा का पूरा P.S.P. कर दिया गया, ऐसा प्रथम दृष्टयां दिखाई देता है और कुछ गांवों को उससे पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है, एरिया को बढ़ाकर किया गया है, प्रथम दृष्टयां ऐसा दिखाई देता है। हम जांच में इस बिन्दु को कव्हर कर रहे हैं। सम्माननीय सदस्य के पास कहीं पर और कोई बिन्दु है, तो उसे हमें दे दें तो हम उसको ठीक करने का काम करेंगे। हम इसको जल्द से जल्द करायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 250 उप नियम 1 के तहत सदस्य श्रीमती अनिला भेंडिया जी, सदस्य श्री भोलाराम साहू जी, सदस्य श्री रामकुमार यादव जी, सदस्य श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा जी, सदस्य श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी जी, सदस्य श्री व्यास कश्यप जी, को निलंबित किया गया है। कृपया सदन की कार्यवाही से बाहर चले जायें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहकर निरंतर नारेबाजी की गई)

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित।

(11:36 से 11:50 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
11:50 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने [xx] की है। सदन में पूरे प्रदेश की जनता टी.व्ही. देखते बैठे रहते हैं। वे लोग देखना चाहते हैं कि हमारे प्रश्नों को विधायक उठायेंगे और सरकार जवाब देगी। इसमें कई करोड़ रूपये खर्च होते हैं। वे लोग सब नियम-कायदा जानते हैं, उसके बाद

भी विधान सभा के प्रश्नकाल को बाधित करके उन्होंने [xx] किया है। वे चाहते तो मामले को शून्यकाल में भी उठा सकते थे। उन्होंने बहुत गलत परंपरा की शुरूआत की है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस विधायक दल ने आज [xx] की पराकाष्ठा पार कर दी। दूसरी बात यह कि यह लोग आदिवासी विरोधी हैं। इनका मापदण्ड दोहरा है। भूपेश बघेल जी के घर में ई.डी. गई तो उन लोगों ने यहां इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और [xx] कवासी लखमा भी उसी प्रकरण में जेल गये तो उनके लिए यहां यह लोग चुप बैठे थे। (शेम-शेम की आवास) कांग्रेस विधायक दल के लोग आदिवासी विरोधी लोग हैं।

श्री सुनील सोनी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार करेंगे तो ई.डी. जाएगा। जो लोग विधान सभा में ई.डी. का नारा लगा रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि उनकी सीमाएं कहां तक होती है। एक तरफ भ्रष्टाचार रोक कर उनके यहां ई.डी. नहीं जाएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आज से संसद की कार्यवाही चालू है। इनको राज्य सभा के तीनों लापता सांसद के पास फैक्स कर देना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। यह विधान सभा का विषय थोड़ी है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक 06। श्री भोलाराम साहू।

प्रश्न संख्या : 06 XX XX

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, जिस दिन तुलसी साहब जीत कर राज्य सभा में गये थे तो मैंने कहा था कि यह सर्टिफिकेट भी लेने नहीं आयेंगे। मुझे आपको बताते हुए अच्छा लग रहा है कि वह सर्टिफिकेट लेने नहीं आये थे। उनका सर्टिफिकेट शिव डहरिया जी रख कर गये थे। इन लोग इतने सक्रिय सांसद चुन कर लाते हैं। मध्य प्रदेश के बाहर के लोगों को यही लोग अनुकंपा नियुक्ति देते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या 07 । श्रीमती भावना बोहरा जी, प्रश्न करें।

पंडरिया विधान सभा क्षेत्र में अमानक बीज का वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

7. (*क्र. 1654) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** पंडरिया विधान सभा क्षेत्र में खरीफ वर्ष 2024-25 के लिए आवश्यक बीज की मात्रा किन-किन श्रेणी की एवं कितनी निर्धारित की गई है? निर्धारित मात्रा के विरुद्ध कितनी मात्रा में बीच का भंडारण किया गया है? विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ख)** क्या कृषकों को बीज वितरण पूर्व

अशासकीय प्रकाशन के लिए नहीं

बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा भंडारित बीज का प्रमाणीकरण का प्रमाण-पत्र दिया गया था? **(ग)** यदि हां, तो संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र दिए जाने के बाद कितनी मात्रा में बीज अमानक पाए गए? वितरित अमानक बीज से प्रभावित कृषकों को क्या लाभ दिया गया ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) पंडरिया विधान सभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्ड कवर्धा, सहसपुर लोहारा एवं पंडरिया विकासखण्ड हेतु खरीफ वर्ष 2024-25 में प्रमाणित श्रेणी के बीजों की आंकलित आवश्यक मात्रा एवं भण्डारण की विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न[1] प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** बीज क्रेता कृषक को बीज वितरण/क्रय से पूर्व भण्डारित बीज का "बीज प्रमाणीकरण संस्था" द्वारा प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाना प्रावधानित नहीं है, अपितु विक्रय/वितरण हेतु भण्डारित प्रमाणित श्रेणी के बीज की बोरियों में नीले रंग के टैग का प्रावधान है, जो बीज प्रमाणीकरण का प्रमाण होता है। **(ग)** पंडरिया विधान सभा क्षेत्र से संबंधित विकासखखण्डों में बीजों के गुण निंयत्रण हेतु भण्डारण केन्द्रों से यादृच्छिक रूप से नमूने परीक्षण हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किये गये, विश्लेषण उपरांत सभी नमूने मानक स्तर के पाये गये तथा कृषकों को वितरित किये गये बीजों के अमानक होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद्। मेरा सवाल आदरणीय मंत्री जी से यह है कि जिले में बीज भण्डारण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। बीज भण्डारण के पश्चात् यह समस्या आती है कि डबल लॉक से सोसाइटियों में समय पर जो बीज की आपूर्ति होती है, उसमें परिवहन के ढिलाई के कारण बहुत ज्यादा समस्या आती है। जिस समय खाद का वितरण होता है, उसी समय अगर साथ में बीज का वितरण हो जाये तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमेशा यह देखा गया है कि अगर एक सोसाइटी में ट्रांसपोर्ट के जरिये बीज पहुंच रहा है तब तक दूसरी सोसाइटी में बीज खत्म हो जाता है, फिर वहां पर किसान दिन भर लंबी लाईन लगाते हैं। इस तरीके से पंडरिया विधान सभा क्षेत्र में लगभग 46 सोसाइटियों में बीज वितरण के समय में बहुत दिक्कतें आती हैं। इसमें मेरा निवेदन यही है कि क्या इस बार परिवहन की व्यवस्था में कुछ बदलाव किया गया है? मेरा दूसरा निवेदन यह है कि चूंकि वहां पर अन्नदाता किसान दिन भर खड़े रहते हैं, उनके लिए वहां पीने की पानी की व्यवस्था नहीं होती है। यह बहुत सामान्य प्रश्न है, लेकिन यह समस्याएं सोसाइटियों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए पहला, क्या परिवहन के लिए क्या कोई क्राइटेरिया सुनिश्चित किया गया है, ताकि समय पर बीज का भण्डारण हो? दूसरा, क्या किसानों के लिये शौचालय से लेकर पीने के पानी की व्यवस्था है? क्या इस बार उसके लिए कुछ सुदृढ़ पहल की गई है?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य काफी जागरूक हैं और उन्होंने अपने ..।

---

[1] परिशिष्ट "तीन"

श्री अजय चन्द्राकर :- यह आपको कब पता चला कि वह जागरूक हैं? (हंसी) प्रश्न लगने के पहले या बाद में पता चला?

श्री रामविचार नेताम :- मैं कुछ आगे बात करूं? अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्या के संबंध में जो प्रश्न किया है, उस संबंध में विभाग ने लिखित में उत्तर दिया है। फिर भी उन्होंने कहा कि एक स्वाभाविक दिक्कते हैं कि किसानों को समय पर खाद-बीज कैसे मिल सकें? यह बात सही है कि जो हमारा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, वह जब समय पर नहीं पहुंचता है, कहीं कमी हो जाती है तो उसमें दिक्कते आती हैं। मैं कोशिश करूंगा इसमें फिर से पूरी तरह से सुचारू व्यवस्था कैसे हो और इसमें कुछ कम रह जा रही है तो उसको भी हम सुधार करेंगे। रही बात कि जहां से वितरण किया है तो वितरण की एजेंसी हमारी सहकारी साख समितियां होती हैं, उसके माध्यम से ही वितरण किया जाता है। मैं समझता हूँ कि सहकारिता विभाग से को-आर्डिनेशन करके इसमें और भी आमजनों के लिये, किसानों के लिये, जो दिक्कतें होती है, उन दिक्कतों को कैसे हम ठीक कर सकें, जैसे पेयजल की समस्या है, कहीं टायलेट की समस्या होती है, इस तरह से कुछ मूलभूत आवश्यकता है, हम उसे सहकारिता विभाग के साथ बैठकर इसे सुनिश्चित करेंगे ।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, एक विषय और आता है, जैसे लगभग 15 से 20 जून के आसपास बुआई की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी, जिस बीज का भंडारण जिले में हो चुका है, लेकिन वितरण की तिथि है वह जून स्टार्टिंग तक हो जाती है, जिस समय बुआई का काम भी शुरू हो जाता है, बीज का काम चालू हो जाता है, उसको समय के पूर्व थोड़ा सा दे दिया जाये तो ज्यादा उचित होगा । अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी के साथ प्रश्न और है कि जिस तरीके से सोयाबीन फसलों में कई सालों से गिरावट देखने को मिल रही है, किसानों ने सोयाबीन का उत्पादन कम भी कर दिया है, उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि सोयाबीन बीज जे.एस.325 और 95, 60 जो पिछले 20 वर्षों से कृषि विभाग द्वारा किसानों को इसी बीज का वितरण किया जा रहा है, जब भी इसमें जांच होता है तो यह बीज वायरस ग्रसित पाया गया है, 20 वर्ष हो गया है लेकिन उस संबंध में कोई पहल नहीं की गई है । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से धान के फसल की बात करूँ तो सरना और एच.एम.टी. के अलावा किसी किस्म के उत्पादन की शुरूआत नहीं की गई है । अध्यक्ष महोदय, हमारे राजधानी में कृषि विश्वविद्यालय भी स्थापित है, अभी तक नई बीजों के लिये प्रयास क्यों नहीं किया गया कि नई किस्मों की बीज आये ? सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है ? अध्यक्ष महोदय, इसमें होता यही है कि सरकार से जो बीज मिलता है और किसानों को पता है कि सोयाबीन में नुकसान होगा तो वह प्रायवेट दुकानों से जाकर बीज खरीदते हैं, इसके लिये उन्हें 16 हजार से 17 हजार रूपये पटाना पड़ता है । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि कुछ नई किस्म के बीज का प्रयोग सरकार के द्वारा लाने का प्रयास

किया जा रहा है, 20 वर्ष निकल चुका है, क्या किसानों को आगे भी ऐसे ही बीजों का वितरण किया जायेगा ?

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैं इसका परीक्षण करा लूँगा ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है । प्रश्न क्रमांक 8 ।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, बीजों की बड़े पैमानों पर जो प्रायवेट दुकानों में पैकेजिंग होती है, अभी तक उसके लिये कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है । उसमें न तो किसी तरह से गुणवत्ता का सवाल आता है, न कोई मानक तय किया गया है, इसे मनमाने रेट पर कहीं 7 हजार, कहीं 10 हजार, इस तरह से लोकल पैकेजिंग करके बेच रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, ये दुकानें अनियंत्रित है और प्रायवेट खुली हुई हैं, किसानों को मजबूरी में यह सामान लेना पड़ता है । अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या उनका कोई मापदण्ड तय होगा और उस पर क्या कोई कार्यवाही होगी ?

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, हमारी जो बीज निगम संस्थायें हैं, इस संस्था के माध्यम से शासन स्तर पर प्रमाणित बीज ही किसानों को दिये जाते हैं, जहां तक प्रदेश के बाकी जगहों का सवाल है या आपके विधान सभा क्षेत्र के गांव-गांव की बात है, यहां कुछ लोग प्रमाणित बीज के नाम पर डुप्लीकेट बीज किसानों को उपलब्ध कराते हैं, यह पूरी तरह से क्राईम है । अध्यक्ष महोदय, जब जानकारी मिलती है तो ऐसे लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाती है । यह जो बीज वितरण का काम है, यह सभी प्रक्रिया जिला प्रशासन के नियंत्रण में चलते हैं । मैं समझता हूँ कि इस तरह की कहीं भी शिकायत हो तो प्रदेश भर के लोगों को और हमारे जनप्रतिनिधियों को यही कहना चाहता हूँ....।

श्री भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यही है कि इसका कोई मापदण्ड निर्धारित करें, ताकि उसे निर्धारित किया जा सके । इस तरह की जो दुकानें संचालित है, यदि मापदण्ड निर्धारित हो जाता है तो जो (+) (-) हो तो उस पर कार्यवाही की जा सके ।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग की ओर से जो प्रमाणित बीज दिया जाता है, उसमें बकायदा प्रमाणीकरण करके दिया जाता है, उसमें सर्टिफिकेशन का सिस्टम है, हम सर्टिफिकेट लगाने के बाद ही उन्हें देते हैं और हम आगे इसमें क्यू-आर की प्रक्रिया कर रहे हैं, उसके माध्यम से पता चल जायेगा कि यह बीज कहां से प्राप्त हुआ है, कब की पैकिंग है, कौन सी किस्म है, आपको वह सारी जानकारी क्यू-आर कोट के माध्यम से मिलेगी । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके बारे में हमारे जनप्रतिनिधि आम जो किसान है, उनको भी इसकी जानकारी दें ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय :

12:00 बजे **निलंबन समाप्ति की घोषणा**

अध्यक्ष महोदय :- प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत जो माननीय सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए हैं, मैं उनका निलंबन समाप्त करता हूं ।

समय :

12:00 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

(1) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित के अंकेक्षित वित्तीय पत्रक, आडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) के अपेक्षानुसार :-

(i) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2023-2024 तथा

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित की ऑडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2023-24 पटल पर रखता हूं ।

समय :

12:01 बजे **ध्यानाकर्षण सूचना**

(1) श्रीमती चातुरी नंद (अनुपस्थित)

(2) रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पेयजल की समस्या

श्री मोतीलाल साहू (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- ग्रीष्मकाल प्रारंभ होने पर शहर की पेयजल की समस्या विकराल रूप ले लेती हैं । विधान सभा क्षेत्र रायपुर ग्रामीण अंतर्गत नगर निगम रायपुर के वार्डों में नगर पालिक निगम बीरगांव तथा नगर पंचायत माना कैम्प में जल आपूर्ति की समस्या हमेशा बनी रहती है । नल कनेक्शन पूर्ण न होने के कारण आवासीय बस्तियों, निजी कॉलोनियों, बी.एस.यू.पी. कॉलोनियों सहित पूरे क्षेत्र में जल

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आपूर्ति की समस्या है । अनेक वार्डों में कनेक्शन न होने के कारण पेय जल नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । इससे क्षेत्रवासियों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कथन पूर्णत: सही नहीं है कि ग्रीष्मकाल प्रारंभ होने पर शहर की पेयजल की समस्या विकराल रूप ले लेती है, अपितु वस्तुस्थिति यह है कि ग्रीष्म ऋतु में नगरीय निकायों के कुछ वार्डों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है । ऐसे वार्डों में टेंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जाती है । रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगरपालिक निगम, रायपुर के 16 वार्ड सम्मिलित है । उक्त 16 वार्डों की वर्तमान जनसंख्या लगभग 2.37 लाख एवं परिवारों की कुल संख्या 68,767 है । 16 वार्डों में कुल नल कनेक्शन की संख्या 42618, हैण्डपंप 280 एवं पावरपंप 460 तथा ओव्हर हेड टैंक 12 हैं, जिसके माध्यम से उक्त वार्डों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है । रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के आवासीय बस्तियों एवं 13 बी.एस.यू.पी. कालोनियों में अमृत मिशन योजना अंतर्गत निर्मित निकटतम जलागार से तथा आवश्यतानुसार 14 टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है ।

उक्त क्षेत्र में स्थित 40 निजी कालोनियों में नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा बल्क कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदान किया जाता है । निजी कालोनियों में कालोनाईजरों द्वारा आंतरिक जल प्रदाय व्यवस्था स्वयं के बोरवेल के माध्यम से किया जाता है, किन्तु ग्रीष्मकाल में भू-जल स्तर नीचे चले जाने या आपात स्थिति में निगम द्वारा आवश्यकतानुसार 14 टैंकरों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जाती है ।

रायपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत नगर पालिक निगम, बीरगांव के समस्त 40 वार्ड आते हैं जिनकी वर्तमान जनसंख्या लगभग 1.50 लाख एवं कुल परिवारों की संख्या 28,158 तथा नल कनेक्शनों की संख्या 26529 है । नगर पालिक निगम बीरगांव क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु वर्तमान में 31 एमएलडी क्षमता के जल शोधन संयंत्र, 16 उच्च स्तरीय जलागार तथा 192 हैण्डपंपों एवं 623 पावरपंपों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जाती है ।

नगर पालिक निगम, बीरगांव में वर्ष 2024 के पूर्व 48 टैंकरों के माध्यम से ग्रीष्म ऋतु में जल आपूर्ति की जाती थी । बीरगांव आवर्धन जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन उपरांत वर्ष 2024 में निकाय क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु मात्र 03 किराए के टेंकर लगाए गए थे । रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नगर पंचायत माना के समस्त 15 वार्ड आते हैं, जिनकी वर्तमान जनसंख्या लभग 0.16 लाख है तथा परिवारों की संख्या 3317 है तथा कुल नल कनेक्शनों की संख्या 596 है। वर्तमान में जल आपूर्ति मुख्य रूप से 72 हैंडपंप, 139 पावरपंप एवं 01 ओव्हरहेड टैंक (क्षमता 300 केएल) के माध्यम से की जाती है। निकाय में 02 टैंकरों के माध्यम से ग्रीष्म काल में जल आपूर्ति की जाती है। राज्य शासन

द्वारा माना कैंप में शत प्रतिशत जल आपूर्ति हेतु मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत लागत राशि रुपए 4393.86 लाख से 02 नग उच्चस्तरीय जलागार क्षमता क्रमश: 840 किलोलीटर तथा 650 किलोलीटर एवं 450 किलोलीटर का संपवेल निर्माण तथा 73 किलोमीटर के पाईप लाईन विस्तारीकरण एवं 3254 नल कनेक्शन प्रदाय किये जाने का कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण किया जावेगा। कार्य की पूर्णता उपरांत नगर पंचायत माना कैम्प के समस्त आवासों में जल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति की समस्या का समाधान उक्त व्यवस्था के अनुसार किया जा रहा है। अत: रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के नगरीय निकायों में वर्तमान पेयजल व्यवस्था हेतु रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रीष्मकाल आरंभ हो रहा है और अभी से हमारे क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। अभी भी टैंकरों के द्वारा पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिसके कारण लोगों में आक्रोश है। कई जगहों पर पानी की कमी के कारण पीलिया और डायरिया जैसी महामारियों ने दस्तक दे दी है। गत वर्ष भी डायरिया की प्राब्लम आई थी और इसकी बहुत मुश्किल से हमने रोकथाम की थी। ऐसी परिस्थिति का लक्षण अब फिर से दिखने लगा है। मेरे वार्ड क्रमांक 51 में पिछले साल भी डायरिया हुआ था और इस साल भी पानी की कमी के कारण ये समस्या उभरकर सामने आ रही है और किसी-किसी वार्ड में पीलिया की शिकायत मिलनी भी शुरू हो चुकी है। इसलिए जलापूर्ति पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। टैंकरों के परिचालन का जिक्र अभी उत्तर में आया है, उससे किसी शर्त में पूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि क्षेत्र में लगातार आबादी बढ़ती जा रही है और कालोनियों में ट्यूबवेल का जलस्तर लगातार गिर रहा है या फिर कहीं-कहीं पर ट्यूबवेल का पानी प्रदूषित हो चुका है। इसलिए जितनी भी कालोनियॉ हैं, सभी कालोनियों में शुद्ध पेयजल की मांग बनी हुई है। हर जगह से निगम में आवेदन दिया जा चुका है। लगातार मांग होने से हम जनप्रतिनिधि जब जाते हैं, तो कई ऐसी कालोनियॉ हैं जैसे वार्ड क्रमांक 03 का बसंत बिहार डबरापारा, वार्ड क्रमांक 02 के सोनडोंगरी में प्रधान मंत्री आवास बना हुआ है, वहॉ आवंटन तो कर दिया गया है, लेकिन पानी की आपूर्ति कम होने के कारण लगातार शिकायतें आती हैं और लोग आपस में झगड़ते हैं। ऐसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। वहां पर बी.एस.यू.पी. भी है। दोनों जगहों पर पानी की गंभीर समस्या है। बसंत विहार डबरापारा जो कि वार्ड क्रमांक 03 का है, इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 4 एवं 5 में विजय नगर, मीडिया नगर, बुनियाद नगर है, इधर बहुत गंभीर समस्या है। वार्ड क्रमांक 7 में दया नगर, द्वारिका विहार, वृन्दावन गार्डन, कूल होम्स कालोनियॉ हैं, जहां पर ये गंभीर समस्या बनी हुई है। वार्ड क्रमांक 8 का वृंदावन बी.एस.यू.पी. है, जहां पर पानी के कारण गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। यहां पर भी समस्या बनी हुई है। कैपिटल होम्स में फेस-1 एवं फेस-2, प्रधान मंत्री आवास और सन सिटी इन सभी जगहों पर पानी की गंभीर समस्या है। वार्ड क्रमांक 09 में प्रधान मंत्री आवास भी है और वहां पर बंजर पारा के नाम का

एक मोहल्ला है, वहां पर गंभीर समस्या बनी हुई है। इसी प्रकार से वार्ड क्र. 10 में प्रेम नगर और मोवा क्षेत्र है। वार्ड क्र. 11 में कापा बस्ती में भी बहुत गंभीर समस्या है। सुदंरी पारा, दुबे कॉलोनी, ढीमरा पारा, इन सभी जगहों पर भी पानी की गंभीर समस्या है। मैंने इनका निरीक्षण भी किया है और लोगों की समस्याओं को सुना भी है। वार्ड क्र. 32 में संकल्प होम्स-1 एवं 2, ब्रम्हदेव नगर, वार्ड क्र. 49 में इंद्रात्मा नगर, सतनामी पारा, महावीर नगर, विशाल नगर ..।

अध्यक्ष महोदय :- आप क्या चाहते हैं, मंत्री जी को यह बता दीजिये ?

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन जगहों पर जल संकट की समस्याएं हैं, मैं उन जगहों का यहां पर उल्लेख कर रहा हूं ताकि माननीय मंत्री महोदय के द्वारा उसका निराकरण किया जा सके और इस गंभीर समस्या से आने वाले समय में जो पीलिया और डायरिया जैसी महामारी आने वाली है, उससे इसकी रोकथाम की जा सके।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, जवाब दे दीजिये।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनने के बाद पेयजल की समस्या के निराकरण के लिये लगातार प्रयत्न हुए हैं। यदि मैं आपको बीरगांव नगर निगम की ही जानकारी बताऊं कि वर्ष 2022 में 27 वार्ड पेयजल की समस्या से ग्रसित थे। वर्ष 2023 में भी 27 वार्ड पेयजल की समस्या से ग्रसित थे और फिर हमने मेहनत की, प्रयत्न किया तब वर्ष 2024 में इनकी संख्या 8 रह गयी और आज बीरगांव नगर निगम में केवल 6 वार्डों में पेयजल की समस्या है। एक जल आवर्धन योजना संचालित है, जिसका काम लगभग 95 प्रतिशत पूरा हो गया है। वह कार्य अप्रैल माह में पूरा होगा तो बीरगांव नगर निगम की पेयजल की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक नगर पंचायत माना का विषय है कि एक अमृत-2 में उसका काम संचालित है। मैं माननीय सदस्य की उपस्थिति में स्वयं उनके कामों का निरीक्षण करने गया था और वह काम भी तेज गति से चल रहा है। हमारी सरकार इस दृष्टि में सजग है और जहां तक डायरिया आदि की बात है, तो अभी ऐसी कोई सूचना नहीं आयी है परंतु प्रशासन पूरी तरह से सजग है। इस तरह की कोई महामारी और बीमारी से पूर्व की जो तैयारियां हैं, विभाग उसके लिए सजग और तैयार है।

श्री मोतीलाल साहू :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

समय:
12.13 बजे

नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा :-

1. श्री बघेल लखेश्वर
2. श्री उमेश पटेल
3. श्री मोतीलाल साहू
4. श्री इन्द्र साव
5. श्री द्वारिकाधीश यादव

समय:
12.13 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नांकित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री सुशांत शुक्ला
2. सुश्री लता उसेण्डी
3. श्री रिकेश सेन
4. श्री दिलीप लहरिया
5. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, मेरी भी शून्यकाल की सूचना है लेकिन मेरा नाम नहीं पढ़ा गया है। मेरे पास 10 मार्च, 2025 की पावती भी है।

अध्यक्ष महोदय :- आपने सूचना दी थी ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- जी, मैंने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, दिखवा लेते हैं। सूचना पहुंच रही होगी।

अप्रकाशित प्रकाशन के लिये नहीं

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय सदस्य, श्री दयाल दास बघेल, खाद्य मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

समय:
12.14 बजे **वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा**

(1) मांग संख्या 39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा संरक्षण मंत्री (श्री दयाल दास बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 39 खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय के लिए - चार हजार पांच सौ तिरालीस करोड़, सड़सठ लाख, छियालिस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्ताव की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या-39

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय

निरंक

(कटौती प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए)

अध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बहुत तेज (fast) हैं, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे कक्ष में कहा कि आप खाद्य विभाग की चर्चा शुरू कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी दो दिनों का अवकाश था, बढ़िया, पहले मुझे बता दिया होता, पर बहरहाल उस दिन मैंने आपके सामने एक विषय उठाया था। जब प्रशासकीय प्रतिवेदन तैयार होता है तो जब उस दिन तीन विभाग के थे तो दो में कौन से नियम, अधिनियम प्रचलित हैं, इन लोगों ने यह नहीं बताया। इनकी भी वही स्थिति है। विधान सभा में आपके प्रतिवेदन में आपका विभाग कौन-कौन नियम और अधिनियम से चलता है, यहां आपको यह बताने में क्या आपत्ति है ? यह सदैव से विधान सभा में आता रहा कि आप कौन-कौन से नियम से Governed होते हैं, यह लोगों को जानने का अधिकार है। अब जब इसे पढ़ता हूँ तो आपको और एक चीज बता देता हूँ। मेरा विधान सभा कहीं ट्रम्प के ट्रैफिक वाले सिस्टम में तो नहीं उलझ गई है। आपने 140 विकासखण्डों में राशन सामग्री प्रदाय की जो व्यवस्था की है आप इसको पढ़ेंगे तो धमतरी में धमतरी, कुरूद, नगरी सिंहावा है, आपने मगरलोड को छोड़ दिया है। मैंने इसे पूरा पढ़ा कि इसमें कहीं दूसरे जिले में मगरलोड तो नहीं छपा है। इसमें मगरलोड छपा ही नहीं है। संयोग से यह मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है। अभी कहीं ट्रम्प के साथ टैरिफ विवाद में तो नहीं चल रहा है! उसमें आप खाद्यान्न देते हैं या नहीं देते हैं, आप क्या करते हैं? भाई, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह आपकी क्या योजना है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, संयोग से आप आसंदी पर हैं। यहां आपने जिस चीज की बुनियाद डाली। आज वह पूरे देश के लिए मिसाल है। उस दिन आप किसी कार्यक्रम के लिए कहीं पर चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपसे आग्रह किया था कि जब छत्तीसगढ़ माननीया राष्ट्रपति जी आएंगी तो इस बात को जरूर पॉवर प्वाईंट दिया जाए कि छत्तीसगढ़ की विधान सभा में कौन-कौन से नये कानून बनें, जो आगे चलकर, देश के लिए मिसाल बने। आपके मुख्यमंत्रित्व काल में दो तरह के कानून बने। सबसे पहले यहां की पंचायत में एक क्विंटल अनाज रखना है, आपने यह कानून बनवाया। जो निर्देश थे, उसकी जगह में आपने कानून बनाया। वह देश का पहला खाद्य सुरक्षा कानून था कि पंचायतों में एक क्विंटल अनाज रहेगा। उसके बाद आपने छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा कानून 2012 लागू किया। आज माननीय विष्णु देव जी का शासन है, लेकिन आपने जो प्रेरणा दी आज पूरे देश में खाद्यान्न सुरक्षा के लिए यह एक मिसाल बनी। मैं, आपको छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से इस पहल के लिए बधाई देता हूँ। इस सरकार को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने इसको बहुत मजबूती के साथ लागू किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके बजट में पूंजीगत व्यय में लगभग 3 प्रतिशत और राजस्व व्यय में भी वृद्धि हुई है। यदि हम कांग्रेस शासन में भी देखें तो उस समय पूंजीगत व्यय मात्र 1 प्रतिशत होता था, पर फिर से आज आपके शासन में पूंजीगत व्यय लगभग 3.19 प्रतिशत है। वर्ष 2024-2025 की तुलना में वर्ष 2025-2026 के बजट में 31.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसमें लगभग 3 हजार

112 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है, लेकिन आपका अधिकांश व्यय राजस्व व्यय है, उसके बाद भी आप सिर्फ 65 प्रतिशत भर खर्च किये हैं, तो यह किन कारणों से बता रहे हैं, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। । दूसरी बात मैं आपको, सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी को बधाई देता हूं और आपको भी बधाई देता हूं कि कि आपने 1 लाख 49 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी है जो कि आज तक का छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया रिकॉर्ड है। (मेंजों की थपथपाहट) यह जो हमारे लापतागंज के निवासी हैं, आप लापतागंज सीरियल देखे थे न, वह आयेंगे, उनको बुलाने गये हैं कि चलिये आप शामिल होईये। यह नारा लगाते रहे। कर्ज माफी, धान खरीदी के लिए हो या किसी बात के लिए हो, मैं उसमें बात करूंगा। लेकिन जितनी अनियमितताएं वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 तक कांगेस शासन में हुईं, मैं सोचता हूं कि इतनी अनियमितता किसानों के नाम पर, किसानों को लूटने का काम आजाद भारत में किसी शासन ने नहीं किया होगा। मेरी अभी चर्चा भी ड्यू है, आगे भी चर्चा होगी, आधे घंटे की चर्चा भी ड्यू है, सदन की कमेटी भी जांच कर रही है। इन लोगों की आजकल साल भर में बोलने की हिम्मत हो गई है कि इतनी अनियमितता है तो आप जांच क्यों नहीं कराते? यह अलग-अलग विषयों में दो-तीन बार बोल चुके हैं। मैं फिर से आग्रह करूंगा कि जब उल्लेख जायेगा तो जांच अवश्य करवाईये। इनको पता चले कि गरीबों के साथ लूटपाट करने, गरीबों के हक में डाका डालने, अनाज चुराने का मतलब क्या होता है। यह वेल में बैठकर नारा लगाते रहेंगे कि ई.डी. आयेगी, वह आयेगी। इनका स्थायी तौर पर एजेंसियों के खिलाफ गर्भगृह में धरने देने का काम ही रहेगा और कोई काम इनके पास नहीं रहेगा कि ये जनहित के विषय उठायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चिंता का विषय है जिसमें हम सबको मिलकर सोचना चाहिए, प्रदेश को सोचना चाहिए। इसमें खाद्य विभाग को मदद करनी चाहिए। आप जिस तरह की भी पहल कर रहे होंगे, उत्तर में बतायेंगे। आप लगभग 54 लाख टन चावल केन्द्रीय पूल में देंगे। आपकी जरूरत लगभग साढे 14 लाख टन चावल के आसपास की है। लेकिन आपके पास इन सबके बाद 40-50 लाख टन धान बच जायेगी। जब इनके पास धान का आधिक्य था न, हम लोग इधर बैठते थे। हाथी को खिलाने के लिए वन विभाग को धान लेने के लिए कहा गया था कि धान को लीजिए और हाथी को खिलाईये। यह विधान सभा में ऑन रिकार्ड है। यह योजना उन लोग बनाते थे कि सरकार से सरकार खरीद ले। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कितना घाटा हुआ है। लेकिन आप कोई ऐसी ठोस योजना, ट्रांसपरेंट योजना बनायें और इसकी स्थायी व्यवस्था करें। मैंने आपकी मदद इसलिए कहा कि यदि कोई भी व्यापारी या संस्था धान कम में खरीदता है, एथेनाल वाले खरीदते हैं, कोई भी खरीदते हैं तो जितना घाटा हमने उठाया है, यह हमारा घाटा निरंतर बढ़ते जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप स्वयं सक्षम मंत्री हैं। आप 54 लाख मीट्रिक टन ले रहे हैं, आप किसी समय 61 लाख मीट्रिक टन पर चावल केन्द्रीय पूल में लिये हैं। 10-20 लाख मीट्रिक टन भारत सरकार केन्द्रीय पूल में और चावल ले ले। हमारी परेशानी हल हो। आप इसको मोदी जी की गारंटी में पहल करके शामिल करवाईये कि जितना धान

छत्तीसगढ़ खरीदेगा, स्टेट की जरूरत के अतिरिक्त जितना चावल होगा, उस चावल को हम सेन्ट्रल पूल में लेंगे। यह व्यवस्था आप करवाईये। अब दूसरी बात यह है कि जो आप चावल बना रहे हैं, उसका थोड़े दिन पहले प्रश्न था कि धान का उठाव कितना प्रतिशत हुआ है, संग्रहण केन्द्रों से मिलिंग कितनी हुई है? जितना धान का डिस्पोजल होना चाहिए, मिलर्स धान को कहां जमा करेंगे, कब जमा करेंगे, किसके पास जमा करेंगे। मैं मिलर्स के लिए इसलिए कहता हूं, मैं इस विषय में आपके ए.सी.एस. साहब को भी फोन किया था, आपके पास भी फोन किया था कि एक मात्र उद्योग है, 2200 राईस मिल हैं जो स्थानीय लोगों के हाथ में है और सबसे ज्यादा रोजगार स्थानीय लोगों को गांव में देती है। तो इस विषय में खास तौर से उनकी परेशानी है कि चावल कहां जमा करें, कब करें ? आप उनकी व्यवस्था देखिए । माननीय अध्यक्ष महोदय, 80 लाख 66 हजार लोगों को आप खाद्यान्न सुरक्षा दे रहे हैं, इस छोटे से राज्य में इतने परिवारों को भी आप देते हैं तो मैं यह कहूँगा कि लगभग चूंकि मैं आंकड़े ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी आपके आंकड़े पुराने हैं । कल आंकड़े के संबंध में मेरा एक प्रश्न है लेकिन 80 लाख परिवार और उसमें भी अंत्योदय के, चूंकि आपने अपने प्रतिवेदन में अंत्योदय की परिभाषा दी है । एकल कॉर्ड की, नि:शक्तजन कॉर्ड की, सामान्य कॉर्ड की सबकी आपने चिंता की है और मैं फिर से माननीय अध्यक्ष महोदय जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि चाहे वह नामक की योजना हो । चूंकि वह योजना बनी, हम उस केबिनेट में थे । मधुर गुड़ वितरण, आप यह शक्कर देते हैं, चना देते हैं । पोषण से, सुपोषण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जोड़ने का काम माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में और आज माननीय विष्णुदेव शासन में भी वह निरंतरता के साथ लागू है ऐसा प्रयोग बहुत कम राज्यों में देखने को मिला कि खाद्यान्न वितरण को या सार्वजनिक वितरण प्रणाली को हम सुपोषण से भी जोड़ें ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के तहत् जो चावल आवंटन है, वह कर रहे हैं । आप छात्रावासों को, कल्याणकारी संस्थाओं को दे रहे हैं । आप केरोसिन का भी वितरण कर रहे हैं और आप यह वितरण नहीं कर रहे हैं बल्कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों के सुपोषण की चिंता कर रहे हैं, गरीबों की चिंता कर रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट) और गरीबों की चिंता में पहली बार जो कानून बनाकर चिंता की, मैं इसके लिये आपको, आपके विभाग को, शासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं । माननीय गृहमंत्री जी यहां पर मौजूद हैं, इसमें नियद नेल्लार का भी उल्लेख है । वे बता रहे थे कि यह महाअिभयान है, आप जब उस दिन बात कर रहे थे तो आपने नियद नेल्लार को भी अपने उद्देश्यों में शामिल किया है । मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं और आगे चलकर 31 मार्च, 2026 तक प्रदेश को नक्सलविहीन बनाने का जो संकल्प माननीय गृहमंत्री जी ने लिया है । (मेजों की थपथपाहट) मैं सोचता हूं कि अगले साल जब आपका प्रतिवेदन आएगा तो यह बात छत्तीसगढ़ से गायब हो जाएगी कि पहुंचविहीन क्षेत्रों में राशन का

अग्रिम भंडारण होता है । (मेजों की थपथपाहट) छत्तीसगढ़ का कोई भी क्षेत्र पहुंचविहीन नहीं रहेगा, उन कठिन से कठिन जगहों में हम बिना एडवांस के समय में राशन पहुंचाएंगे, इस लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़िए । माननीय गृह मंत्री जी और पूरा शासन आपके साथ है। आपने वन नेशन-वन राशनकॉर्ड को लागू किया है । वर्ष 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसको लागू किया, मेरे ख्याल से वर्ष 2022 ही है और आपने उसको तत्परता से लागू किया । जो राष्ट्र की अवधारणा है कि हम एक देश में किसी भी प्रणाली में एकरूपता रखें ताकि देशवासी कहीं पर भी जाएं, जो हमारी राष्ट्रीयता है वह मज़बूत हो, वह भावना मज़बूत हो । जिस भावना के साथ यह योजना और इस तरह की कई योजनाएं, जब समय आएगा तब उस पर बात करेंगे तो आप उसको लागू कर रहे हैं और प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं, मैं इसके लिये आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं और मैं शासन को भी बधाई देता हूं । मैंने अभी आपको कहा कि आप खाद्यान्न का वितरण कर रहे हैं, उसके साथ सुपोषण की चिंता कर रहे हैं तो आपने जो फोर्टिफाइड राईस देने की योजना बनाई है, उसके लिए भी मेरी बहुत-बहुत बधाई, इसको आप स्वीकार कीजिए। (मेजों की थपथपाहट) मैं यह अपेक्षा करता हूं कि आगे चलकर यह शत प्रतिशत हो । अब साहब आपने प्रशंसा बहुत ले ली । साहब, अब कुछ दूसरी दिशा में आगे बढ़ते हैं । वर्ष 2019-20 में आपको 155 करोड़ रुपए की 85 हजार मीट्रिक टन...।

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था इनकी तरफ से है ।

श्री अजय चंद्राकर :- ऐसा लगता है कि अब वह तो नमक खिलाएंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- आज इनका नमक खाना है । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- अब वह बताएंगे कि बी.पी.एल. का है कि ए.पी.एल. का है ?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- अमानक होने से, आप सोचिए तो उसमें आपने कोविड कारण बता दिया। आपको 155 करोड़ रूपये की क्षति हुई। उसके बाद आपने वर्ष 2020-21 में धान चावल उपार्जन और ऑक्शन किया। उसमें 556 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ। आज आपने बताया है, मेरे कुछ मेरे विषय हैं, आप जो भी बताएंगे, जब तक वे परिणाम तक नहीं पहुंचेंगे, ये षष्ठम विधान सभा में मैं उस विषय में लगा ही रहूंगा। 40 हजार 970 मीट्रिक टन है, जो आपने उत्तर में बताया है। साहब, उसकी स्थिति क्या है, मुझे ये तो बताएं? कोयला हो गया है, चावल हो गया है, भूसी हो गया है, कहां पर रखा है, कैसे रखा है? आप उत्तर देते हैं कि इसका निस्तारण नहीं होगा तब तक हम सकल हानि नहीं बता सकते। कितने दिन में इसका निस्तारण होगा? ये मुझे जरूर बताएंगे कि 2 साल में होगा, 5 साल में होगा, 15 साल में होगा, 25 साल में होगा, 15 दिन में होगा, आखिर आप कितनी अवधि लेंगे? इसीलिए उनकी हिम्मत बढ़ती है कि आप हमारे करप्शन की जांच करवा लीजिए । यह स्थापित है। ये आप बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। मेरा जब अवसर आएगा, तब आपसे पूछूंगा, जिस दिन माननीय अध्यक्ष महोदय स्वीकार

कर लें। अब आपको कांग्रेस शासन में 3 साल में टोटल जो 748 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? कुप्रबंध जिम्मेदार है। 1 साल तो कोविड बोल दिया तो कोविड में कोई पानी नहीं गिर रहा था। मैं फड़ जांच के लिए गया था। न ढका था, न कुछ था, न कुछ था। बिलासपुर के आगे वाले धान संग्रहण केंद्र के फड़ को जब देखने गया था, वह सिर्फ कुप्रबंधन था। कोविड तो एक बहाना था। तो इसके जिम्मेदार कौन हैं? मैं यह सोचता हूं कि ये मुझको जरूर बताएंगे कि हाथी को खिलाने के लिए चावल धान लीजिये, निर्देश था या नहीं था? नहीं तो हाथी के लिए निर्देश थे, इसकी कॉपी मैं आपको दूंगा।

समय :
12.33 बजे **(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)**

मानननीय सभापति महोदय, अब मार्कफेड धान खरीदती है। आपने वर्ष 2019-20 में 821 करोड़ रूपये ब्याज दिया है। वर्ष 2020-21 में 945 करोड़ रूपये ब्याज है। वर्ष 2021-22 में 844 करोड़ रूपये ब्याज है। वर्ष 2022-23 में 1383.95 करोड़ रूपये इधर भी दशमलव है, लेकिन मैंने उसको नहीं पढ़ा। वर्ष 2024-25 में 2595 करोड़ रूपये ब्याज है। अब आप नियमित ऋण लेते हैं, उसका ब्याज है या जो आपको धान खरीदी में घाटा हुआ, उसकी क्षतिपूर्ति किसको करनी है? केंद्र सरकार को करनी है या राज्य सरकार को करनी है? आपको क्षतिपूर्ति कब से नहीं मिली, कितने दिन से नहीं मिली? यदि क्षतिपूर्ति छत्तीसगढ़ शासन ने नहीं दी तो उसका ब्याज आप पटाएंगे या छत्तीसगढ़ शासन पटाएगा। यदि वह क्लियर नहीं होगा और आप ये क्लियर नहीं करवाएंगे तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण है, वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है कि गरीबों की सेवा, समाज कल्याण और सामाजिक क्षेत्रों के लोगों को संरक्षण देना, गति देना, वह इस संस्था के बीमारू होने से समाप्त हो जाएगी। अब इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? ये आप जरूर बताएं कि आप इसके लिए क्या कदम आप उठाने जा रहे हैं? अब ये लोग नहीं हैं। हमने 10 बार भाई लोगों को विधान सभा में पूछा। क्या समर्थन मूल्य बढ़ता है तो जब वे धान खरीदते थे, उसके हिसाब से आप 2500 रूपये में बढ़ोतरी करेंगे क्या? एम.एस.पी. में जितनी वृद्धि होगी, उस हिसाब से पहले साल तो उन्होंने कह दिया कि साहब एम.एस.पी. बढ़ेगी, उस अनुपात में हम बढ़ाएंगे। दूसरे साल जब उनको समझ में आया, शासन उतरने का जोश थोड़ा ठंडा हुआ तो बोले कि हमने 2500 रूपये में फिक्स कर लिया। आप बोले कि हम difference की राशि देंगे। लेकिन उसके बाद चारों साल उन्होंने 2500 रूपये ही दिया। । 2500 रूपये दिया तो लगभग उस difference को जोड़ें तो इन्होंने किसानों की 4000 करोड़ रुपये की क्षति की, ये लापतागंज के निवासियों ने। माननीय सभापति महोदय, इनको किसानों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना था । ये चले गए, अन्यथा इनके ऊपर और

कुछ आरोप लगाता । ये जहां बैठे हैं या अभी जहां गए हैं, ये किसानों के साथ छल करने के कारण इस दशा में हैं ।

सभापति महोदय, इनके प्रतिवेदन में इनकी संस्थाओं के बारे में बताया गया है। जितने आयोग हैं, छत्तीसगढ़ उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, ये गौतम चौरडिया जी कौन हैं, कब नियुक्त हुए हैं, कितने दिनों का इनका कार्यकाल है ? यह जरूर बताएंगे । कितने दिन में नियुक्त होत हैं, कितने सदस्यीय आयोग हैं या सिंगल पर्सन आयोग है ? वैसे ही मुझे छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग इनके कार्य, दायित्व मैंने सब देखे हैं, ये गुरप्रीत सिंह भामरा कब नियुक्त हुए और कितने दिनों का इनका कार्यकाल है, क्या यह संवैधानिक है कि आप इनको हटा नहीं सकते ? जैसे महिला आयोग की अध्यक्ष काम कर रही हैं, यहां नाम नहीं लूंगा, उसी तरह यह संवैधानिक दायित्व वाली जगह है या सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट का निर्देश है कि इन पदों को कार्यकाल के पूरा होते तक आप नहीं हटा सकते ? या आपने जान बूझकर इन्हें रखा हुआ है ? यह मुझे स्पष्ट ज़रूर कीजिएगा । राज्य के अंतर्गत 27 जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग है । जहां जरूरत है, जिन 6 जिलों में आपने नहीं खोला है । उसको कब तक खोल देंगे, यह बताइएगा, क्या प्रक्रियाधीन है ? यह सरकारी भाषा बड़ी कठिन होती है, समयावधि बताया जाना निश्चित नहीं है । लेकिन ये जिन जिलों में नहीं है कोंडागांव, सुकमा, बलरामपुर, नारायणपुर, बीजापुर । नियद नेल्लानार की तरह योजना चला रहे हैं, जिसके खिलाफ हमने लड़ाई का आव्हान किया है । उन क्षेत्रों में यदि संस्थाएं काम नहीं करती हैं तो किसी न किसी तरह से लोग शोषण और ठगी का शिकार होते हैं । उसी तरह से 27 जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग, इनको आप कब तक बना देंगे, यह मुझे बताइएगा । दूसरी बात यह बताएंगे कि आप उपभोक्ता संरक्षण का काम जब देखते हैं तो इसमें आपका जो माप विज्ञान कार्यालय है, इसमें आपका कोई निर्देश है कि इतने दिनों में माप के यंत्र और बाकी चीजें हैं । मैंने यहां एक प्रश्न पूछा था माननीय मंत्री टंकराम जी बैठे हैं । आपने पटवारियों के उपयोग में आने वाले यंत्रों को कब प्रदान किया है ? वे बाजार से खरीदते हैं या आपने उनको प्रदान किया है ? जो मानक 1 किलो, 1 पाव, 1 लीटर का जो भी पैमाना होगा । निर्देश का मतलब यह है कि उसको साल में एक बार सत्यापन करना है, 6 महीने में एक बार सत्यापन करना है या उनकी मनमर्जी के ऊपर है कि सत्यापन करना है या नहीं करना है या बिना सत्यापन के सर्टीफिकेट देना है? पहले किसी समय में ऐसा होता था कि ग्राम पंचायत या नगर पंचायत में कैम्प लगाते थे और दुकानदार अपने बाट-तराजू को लेजाकर उनसे सील लगवाकर लाते थे । कैम्प लगाकर ऐसा काम करें, यह यह मैंने आज तक नहीं सुना है । आप कौन सी विधि से करवाते हैं या, सिर्फ कागजों में होता है, यह बताइएगा ।

सभापति महोदय, लोक सेवा गारंटी अधिनियम । उस दिन हमने साबित किया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम को पालन नहीं करने से कितने लोगों पर क्या कार्रवाई हुई ? मैं बार-बार नाम नहीं

लूंगा कि कौन माननीय मंत्री थे, कौन सा प्रश्न था, किसमें यह बात आई । लेकिन इसमें यह जरूर आना चाहिए । लोक सेवा गारंटी अधिनियम भी आपने इसी विधान सभा में पारित किया है । इसके पालन नहीं करने पर शासन ने एक साल में जिस अवधि का यह प्रतिवेदन आता है, उस अवधि में इस स्तर के या इन लोगों पर जुर्माना किया या कार्रवाई की। बड़ी दुखद बात ये है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम जिन विभागों में लागू है, उस कानून को 30 दिन, 15 दिन में छाप दिए हैं लेकिन आपने उसके अनुपालन में क्या कार्रवाई की है ? मैं एक्शन टेकन रिपोर्ट एक भी में नहीं देखता, क्यों इन बातों से घबराहट होती है ? यही बातें मनोबल को गड़बड़ करने वालों की बढ़ाती है। हम लोगों ने इस कानून को एक साथ पढ़ा है, इस कानून को एक साथ पारित किया है, ये पढ़ने के लिए नहीं बना है, ये इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बना है, ये आम आदमी को सेवा की सुरक्षा देता है। हम उसमें सफल या असफल कितने प्रतिशत रहे हैं, इतनी कार्रवाई की है, इसमें बताने में संकोच क्यों होता है ? इसमें कार्रवाई नहीं करते हैं, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, ये आप हमको बता दीजिए। दूसरी बात ये है कि आपने विभिन्न कार्यालयों का सेटअप बताया है। एक विभाग में तो अधिकारी से ज्यादा चपरासी हैं। एक अध्यक्ष के लिए कितने चपरासी की जरूरत पड़ेगी मैं नहीं जानता लेकिन कितने भरे हैं, कितने रिक्त हैं, ये आपने नहीं बताया है। ऐसा प्रतिवेदन क्यों बनता है ? यह रोजगार से जुड़ा विषय होता है। अध्यक्ष को 13 चपरासी दोगे तो बेचारे को सुख पूरा मिलना चाहिए न। उसको तत्काल कलेक्टर दर में भरें। किसी चीज को भरे या मत भरे, आप 13 चपरासी की नियुक्ति तत्काल करिए। आपने प्रतिवेदन देखा है या नहीं देखा है, 12 लिपिक हैं और अन्य है। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के लिए शासन द्वारा सेटअप स्वीकृत किया गया है। सेटअप स्वीकृत किया गया है तो ये भी पढ़ने के लिए है या भरने के लिए है। ये भर्ती कब तक होगी ? साहब, इसमें चतुर्थ श्रेणी के 13 पद हैं, कम से कम इसको तत्काल भर दीजिए। आदमी सुख पाए, कागज में क्यों सुख मिले। आजू बाजू चार कमांडो की तरह एक झोला उठाए, एक पानी पिलाए, एक टोपी पहनाएं, एक कपड़ा पहनाएं, 13 लोग आगे पीछे चलते रहें।

सभापति महोदय, SWC. आपके पास स्टेट वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन है। उसकी 23 लाख टन, 22 लाख टन, 26 लाख टन कितनी क्षमता है, अलग-अलग जगहों में अलग-अलग उल्लेख है। आपने किराया में लिया है, उसको भी जोड़ दिया है या आपकी खुद की क्षमता कितने की है और आपको कितने की जरूरत है ? आप उसके लिए क्या कार्ययोजना बना रहे हैं ? आपने बाकी दो तीन जगहों में लिखा है कि कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, आपने इसमें लिखा जरूर है लेकिन कब तक कर लेंगे ? इतने लाख टन हम इतने दिन में बढ़ा लेंगे, थोड़ा कमिटमेंट वाला उत्तर आए। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देखेंगे, अब हमको सालभर हो गया है। खाद्यान्न के भंडारण को सुरक्षित रखना, लाजिस्टिक प्रधानमंत्री जी के प्रथम फ्लैगशिप योजनाओं में है कि छत्तीसगढ़ या हिन्दुस्तान की लाजिस्टिक क्षमता को हम बढ़ाएं। लोगों को सही मात्रा में, सही चीज, सही जगह में, कम लागत में मिले। अब मैं क्या बताऊं, आरोप हो जाएगा।

आप मिलिंग के लिए जो परिवहन की दर स्वीकृत करते हैं, स्टेट वेयर हाऊसिंग की परिवहन की दर कहां का समान कहां जाएगा, कौन से गोदाम से किधर जाएगा, ये बड़ा जोरदार चीज है, ये समझने लायक चीज है। बस्तर का धमतरी आ जाएगा, धमतरी का जशपुर चला जाएगा, जशपुर का कोरिया चला जाएगा, कोरिया का उतरकर बलरामपुर आ जाएगा, ये जोरदार खेल है। ट्रांसपोटिंग लॉबी चाहे धान परिवहन में हो, चाहे इस तरह के सामग्री परिवहन में हो, अपनी इस क्षमता को बढ़ाएं और व्यवस्थित बढ़ाएं। यदि धमतरी डिपो है, आपके बलरामपुर 27 जिला में या 33 जिला में जिस जिला में जोड़ना हो तो उसके लिए हम यहां पर डिपो बनाएंगे। आपने एक ही जगह किसी चीज को केन्द्रित कर दिया तो हम उस लॉबी में दबे रहेंगे या जानबूझकर उसके दबाव में है, ये दिखेगा। ये एक ऐसा विभाग है जो गरीबों की सेवा करता है। आप इसको जितना मजबूत बनाना है, बनाइये। दूसरी बात, मैं एस.डब्ल्यू.सी. की बात कर रहा था तो क्या आपने यह संस्था लाभ कमाने के लिए बनाई है? आपकी यह संस्था 84 करोड़ रूपये के लाभ में चल रही है तो उस लाभ का आप क्या करते हैं? आप मुझे इसके बारे में थोड़ा बताइयेगा। मैं यह तो नहीं सोचता कि गवर्नमेंट की संस्थाएं लाभ कमाने के लिए बनती हैं। आपने गर्व के साथ लिखा है कि हम 84 करोड़ रूपये के लाभ में हैं तो आप उस लाभ का क्या करते हैं? यदि आप सी.एस.आर. करते हैं तो बताइये। हम आपको सी.एस.आर. में 1-2 करोड़ रूपये का प्रस्ताव देते हैं। यह लाभ कमाने वाली संस्था है। आप उन लोगों से पूछकर बताइयेगा कि क्या वह सी.एस.आर. करते हैं? यह संस्था 84 करोड़ रूपये के लाभ में है। माननीय मंत्री जी, आप मुझे बताइये कि यदि आप सी.एस.आर. करते हैं तो मैं आपको अभी एक-दो करोड़ रूपये का प्रस्ताव दे देता हूं। आप 84 करोड़ रूपये के लाभ में चल रहे हैं तो क्या मैं आपको अभी सी.एस.आर. के लिये कुछ प्रस्ताव दे दूं? मैं आपको अभी खड़े-खड़े लिखकर प्रस्ताव दे देता हूं। यह लाभकारी संस्था बनने के बजाय सेवाकारी संस्था बने। यह संस्था घाटे में न चले, यह ठीक है। दूसरी तरफ, मार्कफेड का क्या होगा? आप मुझे इसका उत्तर जरूर दीजियेगा। मंत्री जी, आपको भगवान ने गरीबों और वंचितों की सेवा करने का अवसर दिया है तो आप बड़े निष्ठा भाव से उनकी सेवा कीजिये। माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार की नीतियां और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम व नीतियां, चाहे वह वन नेशन-वन कार्ड हो, चाहे वर्ष 2028 तक उन्होंने गरीबों को अनाज देने के लिए जो योजना विस्तारित की है, वह हो तो ये चीजें ईमानदारी के साथ लागों तक पहुंचें और आप इन्हें लोगों तक पहुंचायेंगे। मैंने अपने प्रश्नों के माध्यम से जो उत्सुकता जाहिर की है, उसमें आपका उत्तर जरूर आएगा। आपको बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्री पुन्नूलाल मोहले जी।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के लिए जो व्यवस्था की है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं और उनके विभाग की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारे यहां कुल 13.922 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें हैं। उन दुकानों में से 4 हजार, 600 उचित मूल्य की दुकानें सहकारी समितियों द्वारा, 3 हजार, 658 उचित मूल्य की दुकानें ग्राम पंचायतों द्वारा, 5 हजार, 536 उचित मूल्य की दुकानें महिला समूहों के द्वारा, 101 उचित मूल्य की दुकानें वन सुरक्षा समितियों के द्वारा तथा 16 उचित मूल्य की दुकानें नगरीय निकायों द्वारा संचालित की जा रही हैं। इन उचित मूल्य की दुकानों में 80 लाख, 85 हजार राशन कार्ड हैं। इन राशन कार्डों में वितरण प्रणाली के अंतर्गत 15.36 लाख अंत्योदय श्रेणी के राशन कार्ड हैं, 56.43 लाख प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्ड हैं, 32.79 लाख एकल निराश्रित राशन कार्ड हैं, 17.15 लाख निराश्रित व नि:शक्तजन राशन कार्ड हैं तथा 855 लाख सामान्य राशन कार्ड हैं तो कुल 80 लाख, 85 हजार राशन कार्ड प्रचलित हैं। इन राशनकार्डधारियों को रियायती दर पर चावल मिलता है। पहले हमारे डॉ. रमन सिंह जी की सरकार में 1 रूपये किलो में चावल की व्यवस्था की गई थी और आज माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार के द्वारा उसकी दर को मुफ्त किया गया है। अब कोई नहीं रहेगा सुस्त और चावल पा रहे हैं, फोकट में एकमुश्त। यह इस सरकार की व्यवस्था है और इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं। हमारी सरकार के द्वारा पी.डी.एस. व्यवस्था को ठीक करके 2 वर्ष में 455 नई उचित मूल्य की दुकानें खोली गईं तथा 4 लाख, 73 हजार, 612 राशन कार्ड जारी किये गये हैं। यदि हम सदस्यों की संख्या बताये तो 6 लाख, 13 हजार, 338 नवीन सदस्य जोड़े गये हैं। इसके लिए मैं हमारी सरकार और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) जिनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं थी, वह लोग इधर-उधर भटक रहे थे और चावल की अव्यवस्था के कारण गरीबी और भुखमरी के शिकार हो रहे थे और वह दिल्ली व भोपाल कमाने के लिए जाते थे, वह लोग अब रूक गये हैं। सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की है। अब यदि हम इन बातों को लें कि हमारी सरकार राशन कार्ड का वितरण किस तरह से करती है तो गांव-गांव में राशन कार्ड आते हैं और राशन कार्ड की व्यवस्था इस तरह से होती है कि उस राशन कार्ड में अंगूठे का निशान होगा। जब तक अंगूठे का निशान व पिक्चर/फोटो नहीं खींची जाएगी, तब तक राशन नहीं दिया जाता है। राशन कार्ड की धांधली और भ्रष्टाचार से बचने के लिए हमारी सरकार ने यह उपाय किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अगर किसी का अंगूठे का निशान नहीं आ रहा है, आंख नहीं है, तो उसके किसी हाथ की ऊंगली या किसी पैर के ऊंगली का निशान होता है, कोई गवाह आता है तब उसको राशन मिलता है। यदि किसी का परिवार बाहर कमाने बाहर चला गया है और उसके पास राशन कार्ड है तो वह कैसे राशन लेगा ? कोई दिल्ली, कोई भोपाल चला गया, कोई मुम्बई चला गया या किसी राज्य में चला गया तो उसके परिवार के लिए सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था है कि वह

कहीं से भी राशन कार्ड के माध्यम से वहां ही चावल या राशन ले सकता है। इसके मैं सरकार को बधाई देता हूं। पहले ऐसा होता था कि वह राशन नहीं ले पाते थे तो वह राशन दुकान में जमा रहता था और उसके राशन को दुकानदार द्वारा ब्लेक कर दिया जाता था। इससे बचने के लिए सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की है। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अगर हम धान खरीदी की बात करें तो 139 लाख किसानों ने अपने धान को बेचा है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से 3100 रूपये प्रति क्विंटल के भाव से हमारी सरकार ने धान खरीदा है। मैं उसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। संग्रहण की व्यवस्था में अधिकतर केन्द्र में संग्रहण नहीं किया गया, सीधे राईस मिलर ट्रांसपोर्टर के द्वारा खरीदी केन्द्र से धान को ले गये। कुछ जगह संग्रहण केन्द्र में जमा है, कुछ जगह धान के खराबी की बात आई। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप उसको देखें कि अभी तक कितना क्विंटल या कितना मिट्रिक टन धान बचा है, उसे मार्च से पहले उठाव करा लें। पिछले वर्ष मार्च से पहले यह काम समाप्त हो चुका था और लोगों के लिए राशन व्यवस्था ठीक से उपलब्ध था। कुछ गोदाम में होता है, कुछ केन्द्रीय पुल में होता है, कुछ राज्य के पुल में होता है। जिस प्रकार हमारे माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर जी ने कहा, उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। क्योंकि वर्षा ऋतु के पहले मिलिंग नहीं हुआ तो सरकार को घाटा होता है, बहुत ज्यादा घाटा होता है। वैसे कहूं तो मुंगेली जिला या दूसरी जगह पिछले वर्ष हुई खरीदी के धान बचे हुए हैं। जब तक केन्द्र से अनुमति नहीं होती, उसकी नीलामी नहीं होती तो सरकार इसकी नीलामी के लिए काम करे, ऐसी मैं आशा करता हूं। इससे बहुत ज्यादा घाटा हो जाता था।

माननीय सभापति महोदय, बोरा खरीदी की बात करें तो सीधे कलकत्ता से बोरा खरीदा जाता है। वहां बोरा खरीदी से पहले पैसा एडवांस में दिया जाता है। बोरा खरीदी के लिए पैसा एडवांस दिया जाता है, फिर भी समय पर बोरा नहीं मिलता है। इसलिए बोरा खरीदी के पहले बोरे की राशि दे दें, जिससे समय पर बोरा आये, समय पर मिले और वह खरीदी केन्द्र तक जाये। कई खरीदी केन्द्र तक बोरा नहीं पहुंच पता, जिले में ही पड़ा रहता है, समय आने पर वह खरीदी केन्द्र तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे धान की खरीदी समय पर नहीं हो पाती है। इसी तरह लोगों के लिए बोरा नहीं होने के कारण अराजकता की स्थिति पैदा होती है, जिसकी विपक्ष उसकी आलोचना करता है। हमें इस आलोचना से बचने की आवश्यकता है। यदि मैं ऐसा कहूं तो पिछले समय व्यवस्था थी और आज भी व्यवस्था है कि 72 घंटे के अंदर मिलर तक धान पहुंचने का नियम बना था, प्रस्ताव पास हुआ था कि खरीदी केन्द्र का धान मिलर को मिल जाये। अगर कोई ऐसा मिलर नहीं किया है तो ट्रांसपोर्टिंग वाले के ऊपर कार्यवाही की तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कितने लोगों के ऊपर कार्यवाही की जो 72 घंटे के समय में धान क मिलर तक नहीं पहुंचाया ? धान का उठाव करने के बाद उन्होंने मिलर तक जमा किया या नहीं किया ? कई लोग धान ज्यादा उठा लेते हैं और समय पर चावल जमा नहीं करते और उससे सरकार को चूना

लगता है और ब्याज देना पड़ता है। तो मैं इस बात का अनुरोध करना चाहूंगा। मैंने कई राइस मिल को देखा है, बहुत से राइस मिलरों का समय पर भुगतान नहीं होता। 3-3 महीने, 6-6 महीने राइस मिलरों का पेमेन्ट नहीं हुआ है, जिससे वह उपार्जन देने में चाहे स्टेट पुल में हो, चाहे केन्द्रीय पुल में हो, जमा नहीं कर पाते हैं। सरकार को इसकी व्यवस्था में दुरूस्त करने की आवश्यकता है। इसकी भी शिकायत है कि उनका पेमेन्ट समय पर मिले। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा कि मसूरी का गुरू राइस मिल है या अन्य मिल हैं, जिसके पेमेन्ट के बारे में चर्चा की है, वह पर मिलता ही नहीं है। 3-3, 4-4 महीने तक जमा रहता है। इस व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, जहां तब बांट प्रणाली की बात है। साल में एक बार बांट की जांच होती है, उस पर सील वगैरह लगाया जाता है, कई थर्ड क्लास के बांट होते हैं, इसको भी सुधारने की आवश्यकता है। बांट की साल में एक बार जांच करते हैं उसकी जगह बीच-बीच में भी निगरानी करने की आवश्यकता है। जिससे ब्लेक करने वाले, कम वजन देने वाले के ऊपर कार्यवाही हो। कार्रवाई करने के लिए आयोग बना हुआ है, आयोग जरूर निगरानी कर रहा है, लेकिन कितने के ऊपर कार्रवाई की, कितने के ऊपर कार्यवाही नहीं की, उसको देखने की जरूरत है। कभी-कभी पेट्रोल-डीजल की अफरा-तफरी होती है। बीच में कई जगहों में पेट्रोल बेचा जा रहा है। पेट्रोल की कालाबाजारी हो रही है, उसको रोकने के लिए कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है? यदि चना, अन्न, दाल का किसी प्रकार से पांच सौ से एक हजार क्विंटल तक दाम लिये हैं। चना या चावल रखा हुआ है और उसका दाम ज्यादा किया जाता है तो उसको रोकने के लिए सरकार ने उपाय किया है? कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है? जहां तक मैंने प्रतिवेदन में देखा है कि उनके नाम नहीं आये हैं। कालाबाजारी रोकने के लिए कितने लोगों के ऊपरी में कार्रवाई की गई है? कितने लोगों के ऊपर में छूट है? कितने लोगों के ऊपर जुर्माना है और कितने लोगों ने जुर्माना को पटाया है? इसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे इसकी कालाबाजारी रूके। नहीं तो शक्कर का कालाबाजारी होती है। अधिकतर मिट्टी तेल की ज्यादा कालाबाजारी होती है। यहां तक तेल की भी कालाबाजारी होती है। अगर मैं बात करूं कि इस तरह के कालाबातारी को रोकने के बाद गैस का वितरण होता है। अभी तक मैंने गैस के वितरण में देखा है कि उसमें कुछ रोक लगा हुआ है। चाहे राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा लोगों को मुफ्त में गैस का वितरण किया जा रहा है। उसमें राशन कार्ड मांगा जाता है, आधार कार्ड मांगा जाता है। उस कार्ड के जमा होने के बाद अभी तक लगभग 50 हजार लोगों को गैस नहीं मिला है। मंत्री जी, आप उनको गैस दिलाने के लिए जरूर प्रयास करें। यदि केन्द्र सरकार की अनुमति की जरूरत हो, तो आप वहां से अनुमति लीजिये। ऐसा मैं आपसे आशा करता हूं। एक आयोग बना हुआ है कि एक लाख तक के मामले में सुनवाई करनी है, दो लाख के मामले में सुनवाई करनी है। ऐसे कितने लोगों के खिलाफ सुनवाई हुई है? कितने महीने में वह सुनवाई पूरी होगी, यह क्लियर नहीं है? आप अभी सुनवाई करवाईये? मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि सुनवाई में कितने

लोगों को दोषी पाया गया, जिन्होंने कालाबाजारी की है? सभापति महोदय, मैं इस तरह खाद्य मंत्री जी के विभाग की अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए धन्यवाद देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्रीमती भावना बोहरा जी।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद्। जिस तरीके से हमारा बजट आया है, उसमें खाद्य विभाग से संबंधित बजट में जिसकी प्रस्तावना दी गई है, वह निश्चित ही बहुत सराहनीय है और मैं इसके संदर्भ में कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए खड़ी हुई हूं।

सभापति महोदय, मुझे लगता है कि कुछ विषय हैं, जिस पर एक बार जरूर चर्चा होनी चाहिए। बजट में जिसका प्रावधान किया गया है, जिसे सुचारू करने जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने के लिए समस्याएं आ रही हैं, मैं उसी विषयों में अपनी बातें रखना चाह रही हूं। जो "वन नेशन वन राशन कार्ड" की योजना है, वह बहुत ही अच्छी योजना है और निश्चित ही गरीब व्यक्ति व अंतिम व्यक्ति तक इस योजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन आज जब वह राशन कार्ड लेकर राशन लेने के लिए दुकानों तक जाते हैं तब वहां पर सर्वर को लेकर सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं। मुझे लगता है कि यह समस्या न सिर्फ मेरे विधान सभा क्षेत्र में है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह यही समस्या आ रही है। इसमें इसके निराकरण के लिए कोई उचित व्यवस्था की जाये। क्योंकि लोगों के जाने की समय-सारिणी लगभग एक ही रहती है। लगभग एक समय में सबका अंगूठा लगवाना या सबको सेम समय पर रिकॉर्ड मेंटेन करना, वह भी ऑनलाईन सिस्टम से करना होता है। ऐसी काफी दिक्कते आती हैं। पहला विषय सर्वर को लेकर समस्याएं आ रही हैं, उसको दूर किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यह प्रस्तावित जरूर होना चाहिए। इसमें दूसरा विषय यह आता है कि हमने राशन कार्ड की व्यवस्था कर दी है, राशन की व्यवस्था कर दी है, लेकिन यहां पर दिक्कतें आती है कि जब कोई बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग व्यक्ति के अंगूठे का प्रिंट नहीं आता है, जिनका रेटीना रीड नहीं कर पाता है, उसमें आज भी ऐसे कई परिवार हैं, जिनको राशन कार्ड की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं इसी विषय पर मंत्री जी का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगी कि जो ऐसे विषय आ रहे हैं, उस पर कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाये या उनके परिवार में किसी को चिन्हांकित करके उस योजना का लाभ दिया जाये या जो भी उसमें वैकल्पिक व्यवस्था करें ताकि उस निर्धन परिवार या बुजुर्ग महिला, जो विशेष रूप से अकेले रहते हैं, उनको इन परेशानियों का सामना न करना पड़ें। मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ जरूर पहल होनी चाहिए। इस बार जो धान खरीदी हुई है, उसके लिए हमारे आदरणीय मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूंगी। इस बार छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है। लगभग 1 करोड़ 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है, चूंकि धान खरीदी बहुत अच्छी हो रही है, धान का समर्थन मूल्य भी 3100 रूपया के हिसाब से हो रहा है, धान के समर्थन मूल्य के साथ-साथ जो अंतर राशि है, उसका भी निर्धारित समय पर भुगतान हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, किसान इससे निश्चित ही बहुत खुश हैं, लेकिन इस कारण से जो धान का रकबा बढ़ा है तो मैं

माननीय मंत्री जी के ध्यान में भी यह बात लाना चाहूँगी कि सोसायटियों का एक्सपॉशन करना बहुत जरूरी है, धान के स्टॉक को रखने के लिये उचित व्यवस्था हो, ताकि धान खरीदी के बाद बारिश से या अन्य कारणों से धान खराब न हो और उसका उचित समाधान मिल जाये । सभापति महोदय, मैं एक चीज की बधाई और देना चाहूँगी कि रिकार्ड धान खरीदी तो हुई है, लेकिन बारदाने की उपलब्धता के बारे में पिछली सरकार के समय जो किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, इस बार बारदाने की कमी भी नहीं आई है, इसकी उचित व्यवस्था हुई है, मैं सरकार को उसके लिये भी बधाई देना चाहूँगी । सभापति महोदय, मेरा तीसरा विषय है कि जो राशन वितरण प्रणाली है, हम राशि वितरण के लिये जो दुकानें चलाते हैं, इसमें जहां तक दूरी का सवाल है तो एक पंचायत में एक ही राशन दुकान है और एक पंचायत में तीन से चार गांव भी आते हैं और इन ग्रामों के जो राशनकार्डधारी हैं, वह बड़ी संख्या में है । यहां राशन दुकानों की संख्या बढ़ाई जाये, इनको कभी-कभी 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और वहां लाईन लगाकर राशन दिया जाता है । सभापति महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी को काफी सारे प्रस्ताव दिये हैं, लेकिन मैं यही मांग रखना चाहूँगी कि एक तो दूरी के हिसाब से सोसायटियों की संख्या बढ़ाई जाये और जो दूसरा राशन दुकानें हैं, इसकी संख्या बढ़ाई जाये । सभापति महोदय, मेरा मुख्य रूप से यही विषय था, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री जी की दूरदर्शिता इस बजट को लेकर है, मैं आपका अभिनंदन करना चाहूँगी । सभापति महोदय, मैंने जो मांगें आपके समक्ष रखी हैं, मैंने पहले भी प्रस्ताव रखा था, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इसका निश्चित रूप से सॉल्यूशन निकलेगा । धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्री सुशांत शुक्ला । (अनुपस्थित)

सभापति महोदय :- श्रीमती गोमती साय ।

श्रीमती गोमती साय (पत्थलगांव) :- धन्यवाद, सभापति महोदय जी । माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 39 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के समर्थन में बोलने के लिये खड़ी हुई हूँ । मैं इस विषय का समर्थन इसलिये करती हूँ कि यह सीधा-सीधा गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है । वर्ष 2025-2026 के लिये 9,440 करोड़ 69 लाख का प्रावधान जो इस विभाग को मिला है, वह छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिये दिया जाने वाला आवंटन है । मैं इसका पुरजोर समर्थन करती हूँ । सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, अगर हम 15-20 साल पहले की बात करें तो इस अंचल के लोगों की अपेक्षायें थी कि हमें 1 रूपया किलो चावल मिले तो एक बड़ी आबादी की भूख मिट जायेगी । सभापति महोदय, मैं इसके लिये माननीय डॉ.रमन सिंह जी को और हमारे आदरणीय मंत्री जी को भी बहुत-बहुत बधाई देती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री और हमारे आदरणीय दोनों उपमुख्यमंत्री जी को भी बधाई देती हूँ तथा उन्हें धन्यवाद भी देती हूँ । सभापति महोदय, यह हमारे प्रदेश के लिये बड़ी अहम योजना है, इस बजट के अंतर्गत मुख्यमंत्री खाद्यान्नय सहायता योजना भी शामिल है, ताकि 5 किलो चॉवल

हमारे जन-जन तक पहुँचे । यह हमारे लिये बड़ी बात है, एक समय था जब कोविड का समय चल रहा था, अनाज नहीं मिल रहा था, हमने इसे करीब से देखा है । सभापति महोदय, वह बहुत ही गंभीर समय था, इस योजना के तहत यह आसानी से उपलब्ध हो रहा है, अगर यही दुर्लभ से मिले और बड़ी कठिनाई से मिले तो उसका महत्व लोगों को समझ में आता है । माननीय सभापति महोदय जी, जिस तरह से आदिवासी विकासखंड में 2 किलो चना, शक्कर देने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है । ऐसे व्यक्ति भी हैं, जो 1 किलो चना, 1 किलो शक्कर नहीं खरीद पाते हैं । हमारे विष्णु देव साय जी की सरकार ने इस योजना को बड़ी गंभीरता से लिया है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूं, धन्यवाद देती हूं, ताकि इसी तरह की योजना जन-जन तक पहुंचती रहे और विष्णु देव साय जी के सुशासन में हम लोग जनता की सेवा करें, ऐसा हम लोगों की सोच है ।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार अंत्योदय प्राथमिकता वाले परिवारों को सुविधा प्रदान करती है । अंत्योदय योजना मतलब सीधा-सीधा दीनदयाल उपाध्याय जी की विचाराधारा को नीचे तक पहुंचाने वाली यह योजना है, अंतिम छोर में जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए भी इस योजना में बजट का प्रावधान किया गया है । उसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूं । हम लोग नमक को रामरस बोलते हैं। बिना नमक के स्वाद कुछ भी नहीं आता है । आप कितनी भी अच्छी सब्जी बनाकर दे दीजिए, लेकिन उसमें नमक न हो तो उसका अच्छा होना या नहीं होना बराबर है, मंत्री जी ने इसके लिए बजट में प्रावधान किया है । भले ही लोगों को यह योजना छोटी लग रही हो, लेकिन यह नमक हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है । मैं तो गांव में रहती हूं इसलिए बड़े अच्छे ढंग से जानती हूं कि नमक का क्या महत्व है। जब शाम होती थी तो लोग नमक मांगने के लिए घर-घर जाते थे कि हम लोगों को थोड़ी सी नमक दे दीजिए, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी थे कि वे शाम को नमक नहीं देते थे क्योंकि नमक को लक्ष्मी का रूप माना जाता है इसलिए शाम को नमक नहीं दिया जाता है । हमने नमक के लिए भी लोगों को तरशते हुए देखा है। जब पूर्व में डॉ. रमन सिंह जी की सरकार थी तो हर परिवार को एक रूपए किलो में नमक देने का प्रावधान किया गया था । इसी तरह से विष्णु देव साय जी की सरकार ने भी नमक के लिए बजट में प्रावधान किया है । यह लोगों को भले ही छोटी लग सकती है, लेकिन गरीबों के लिए बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए इस बजट में राशि शामिल की गई है ।

माननीय सभापति जी, मैं पूरक पोषण आहार की बात करना चाहूंगी । इस योजना में सुकन्याओं को पूरक पोषण आहार देने की बात है तो इस बजट में फोर्टिफिकेशन हेतु 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, उसके लिए भी मैं मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं । शरीर को सभी चीजों की आवश्यकता होती है । समय-समय पर शरीर को लोहे, सोना, चांदी, तांबा, सभी चीजों की आवश्यकता होती है, स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कमी न हो । जो गरीब परिवार में रहते हैं, वे इसकी पूर्ति नहीं

कर पाते हैं, लेकिन हमारे शासन के द्वारा इसकी भी पूर्ति की जाती है, जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है । बस्तर संभाग के कई ऐसे जिले हैं, जहां कई लोगों को आयरन की कमी होती है । शासन के द्वारा गुड़ का भी वितरण किया जाता है । लोगों को यह विषय बहुत छोटा-छोटा लगती होगी, लेकिन जो उस जीवन में जीता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है । हमारी सरकार के द्वारा छोटी-छोटी चीजों के लिए गरीबों का ख्याल रखा जाता है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है । उसके लिए भी मैं मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देती हूं।

माननीय सभापति जी, इस बजट में 10 लाख मैट्रिक टन क्षमता के 20 गोदामों के लिए राशि का प्रावधान किया गया है । यह सीधा-सीधा गरीब और किसानों से जुड़ा हुआ विषय है, हम लोग किसानों से धान तो खरीद लेते हैं, लेकिन धान खरीदकर चॉवल रखने की बात आती है, जब हमारे पास रखने के साधन या सुविधाएं नहीं होती हैं तो वह चॉवल खराब हो जाता है तो वहीं हम लोग चॉवल गरीबों को बॉटने जाते हैं तो खाने में दिक्कत होती है । इसकी व्यवस्था बड़े सुनियोजित ढंग से हमारे विष्णु देव साय जी की सरकार और उनकी पूरी टीम द्वारा करके इसकी व्यवस्था और रखरखाव के लिए भी योजना बनाकर उसे लागू किया गया है, उसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं।

माननीय सभापति महोदय, त्यौहार और मेलों में भी दाल-भाल केन्द्र खोले जाते हैं। यह लोगों को बहुत ही छोटा लगता होगा। आज हमारे उधर के माननीय सदस्य चले गए हैं, जो दर्शाता है कि आप इस विभाग और इस विषय पर चर्चा करना नहीं चाहते इसलिए आज उधर की पूरी लॉबी खाली है। आज इतनी अहम चर्चा में इन्होंने भाग नहीं लेकर बहिष्कार कर दिया क्योंकि इन्हें गरीबों की चिन्ता नहीं है। जबकि बाकी विषयों पर चर्चा करें या न करें, लेकिन इस विषय पर इन्हें चर्चा करनी चाहिए थी। आज पूरी लॉबी खाली है और ये बहिष्कार करके चले गए हैं, क्योंकि इन्हें गरीब की चिन्ता नहीं है। मैं बड़े इन्ट्रेस्ट के साथ, दिल से और मन से इसका समर्थन कर रही हूं क्योंकि यह भले ही लोगों को छोटा विभाग लगता होगा, पर जब मेला में लोगों को दाल-भात बंटता होगा, तो जो लोग मेला देखने आते हैं, उन गरीबों को जब दाल-भात मिलता है, तो उस आनंद का कोई पैमाना नहीं हो सकता। जब भूख लगती है और थोड़ा सा भोजन खाकर भूख मिटती है, तो उस खुशी का कोई पैमाना नहीं है। वह खुशी तो उसी समय महसूस की जा सकती है। आज इस योजना में सारी चीजें लागू की गई हैं। मैं मंत्री जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं कि यह मंत्रालय इसी तरह से गरीबों की सेवा करते रहे और जो अनियमितताएं हैं, उन्हें भी दूर करने का काम करते रहें। जहां पर भंडारण अच्छा न हो, वहां पर भंडारण हो जाए। अभी बरसात का समय आने वाला है। कई ऐसे पहुंचविहीन गांव हैं, जहां बरसात के पहले राशन नहीं पहुंच पाने के चलते वहां के लोग वंचित हो जाते हैं इसलिए वहां बरसात के पहले चार महीने का चावल भंडारित हो जाना चाहिए। ऐसे छोटे-छोटे जो विषय हैं, यह लोगों को छोटा विषय लगता होगा, पर

हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है। वहां इन चार महीनों के लिए राशन का भंडारण हो जाए और उनके भूख मिटाने का काम हो।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूं और विष्णु देव साय जी की सरकार, दोनों उप मुख्य मंत्री, मंत्री जी सहित उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूं और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। धन्यवाद।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण श्री दयालदास बघेल जी की मांग संख्या 39 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष पूर्व इसी बजट सत्र में एक प्रश्न के दौरान माननीय मंत्री जी से मैंने पेट्रोल पंपों में फूड लाईसेंस की अनिवार्यता समाप्त करने का अनुरोध किया था और आज एक वर्ष बाद संबंधित विभाग के द्वारा उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी और उनके विभाग को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था स्थापित करके सुशासन के संकल्प की प्रतिपूर्ति की। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राज्य के राशन कार्डधारियों को अन्य राज्यों में प्रवास के दौरान एवं अन्य राज्यों के प्रवासी राशन कार्डधारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन की प्राप्ति हो सके तथा राशन कार्डधारी अपनी सुविधानुसार पसंद के राशन दुकान में सामग्री प्राप्त कर सकें, इस व्यवस्था के तहत प्रदेश में संचालित 13922 उचित मूल्य की दुकानों में ई-पॉस मशीन स्थापित करके आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। ये अपने आप में अद्भुत व्यवस्था है। माह जनवरी, 2025 में 96 प्रतिशत राशन कार्डधारियों द्वारा आधार प्रमाणीकरण के आधार पर राशन सामग्री का उठाव किया गया। वर्ष 2024 में 1001 राशन कार्डधारियों द्वारा अस्थायी प्रवास के दौरान अन्य राज्यों से राशन प्राप्त किया गया और अन्य राज्य के 1081 राशन कार्डधारियों द्वारा छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न उठाव किया गया। ये संवैधानिक व्यवस्था का, जो ढांचा भारत सरकार और राज्य सरकार के व्यवहार और क्रियान्वयन पर एक व्यवस्था होती है, का अपने आपमें एक अद्भुत उदाहरण है। परंतु राज्य में राशन कार्ड के निर्माण के लिए बड़ी दुर्व्यवस्था चली आ रही है। वह दुर्व्यवस्था यह है कि लोकल बॉडी के प्रमुख अधिकारियों को आई.डी. पॉसवर्ड दे दिए गए हैं और वह सामान्य फार्म के तहत राशन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, जिसका खाद्य विभाग द्वारा किसी प्रकार के सत्यापन की व्यवस्था नहीं है। यह मेरे पिछले प्रश्न में भी उत्तरित हुआ था। इस व्यवस्था को सुधारने के लिये यह आई.डी. पासवर्ड जैसी व्यवस्था बने और बगैर सत्यापन के राशन कार्ड न बने। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि इसके लिये खाद्य विभाग द्वारा आने वाले समय में कोई प्रमाणिक योजना या क्रियान्वयन की व्यवस्था हो। यह योजना इसलिए भी जरूरी है कि आज हम लगातार देख रहे हैं कि रोहिंग्या व बाहर के देशों के लोग राज्य में आकर अवैध प्रमाणीकरण के दस्तावेज बनवा रहे हैं।

संविधान द्वारा प्रदत्त पहचान प्रमाण-पत्र में राशन कार्ड भी एक पहचान पत्र होता है। राशन कार्ड डिलीट करने का प्रावधान तो जिला खाद्य अधिकारी के पास होता है लेकिन बनाने के लिए लोकल बॉडीज को आई.डी. बांट दी गयी है, इसके कारण राशन कार्ड के निर्माण में बड़ी विषमता है और इसके विरूद्ध भी एक प्रमाणिक योजना बनाने की आवश्यकता है। जब राशन दुकानों में मशीनें लगी हैं तो पूर्ववर्ती सरकार में देखने में यह आया है कि राशन दुकान के जो संचालक हैं, वह घरों में 100-200 रूपये देकर अंगूठे लगवाते रहे और राशन की काला बाजारी में सहयोग करते रहे और पूर्ववर्ती सरकार में अधिकारी आंख मूंद कर देखते रहे इसलिए मशीनों में भी जी.पी.एस. लगे, ताकि वह मशीनें राशन दुकानों के बाहर न जाये और लाभार्थी राशन दुकानों पर आकर लाभ प्राप्त करें और भ्रष्टाचार की व्यवस्था न बने। इसके लिए भी इस सरकार में कोई प्रमाणिक व्यवस्था बने ताकि पूर्ववर्ती व्यवस्था में जो हजारों करोड़ों रूपये के अन्न का व्यापक भ्रष्टाचार किया गया, जिससे राज्य के वंचितों तक राशन नहीं पहुंचाया गया। इसके विरूद्ध व्यस्था तैयार हो सके। गोदामों में हमालों की व्यवस्था के लिए भी कोई क्रियान्वयन योजना काम नहीं कर रही है, जो उनके हित में काम करें और उनको सरलता से काम मुहैया कराये। गुंडा तत्वों द्वारा ठेका पद्धति के आधार पर पिछली पूर्ववर्ती सरकार में गोदामों में कब्जा कर लिया गया और दूसरे प्रदेशों के हमालों को लाकर गोदामों में रोजगार की व्यवस्था बनाई गई। यह भी छत्तीसगढ़ राज्य के बेरोजगार हमालों, मजदूरों के साथ अन्याय की व्यवस्था है, इसके लिए भी कोई प्रमाणिक व्यवस्था बननी चाहिए। ट्रासपोर्टरों पर भी नियंत्रण हो। मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण आपके सामने रखता हूं। एक राशन दुकानदार संचालक ने जिला खाद्य अधिकारी से आपत्ति की कि संबंधित ट्रांसपोर्टर ने मेरी दुकान में माल उतारा ही नहीं है और वह दस्तावेजी कागज प्रमाणीकरण करने का दबाव बना रहा है कि मैंने राशन ले लिया है। जबकि गाड़ी उसकी दुकान पर पहुंची ही नहीं थी। ऐसे राशन के ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियों में भी जी.पी.एस. की व्यवस्था हो ताकि पता चल सके कि वह संबंधित दुकानों तक पहुंचे है या नहीं पहुंचे हैं। इसके लिये भी कोई क्रियान्वयन योजना बने। राशन एक ऐसा विषय है कि जन-जन तक पहुंचेगा क्योंकि माननीय मोदी जी की एक ही कहानी है, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नरेन्द्र मोदी की यही कहानी। नरेन्द्र मोदी जी ने जन-जन तक यह व्यवस्था पहुंचाई है। जब छत्तीसगढ़ शासन का खाद्य विभाग ऐसी व्यवस्था के साथ चलेगा तो अपने आप एक अनुपम व्यवस्था का निर्माण होगा। हम जब खाद्यान्न भण्डारण की क्षमता के विस्तारीकरण की बात करते हैं तो देखने में यह आता है कि लाखों क्विंटल धान सिर्फ खुले में पड़े रहने के कारण बबार्द हो जाते हैं। हम तत्कालीक व्यवस्था करते हैं क्योंकि मौसम चक्र परिवर्तन का नुकसान किसानों के एक-एक दाने को मिलता है। जब तक सरकार धरती के मसीहा कहे जाने वाले किसानों के एक-एक दाने का संरक्षण नहीं कर लेगी, तब तक हम सही मायने में खाद्यान्न के संरक्षण और संवर्धन के लिये काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए भंडारण और नये गोदाम के निर्माण की भी व्यवस्था हो और इसे रोजगार के साथ जोड़ा जाना

चाहिए ताकि बेरोजगार युवाओं को इससे रोजगार मिल सके। इसका पी.पी.टी. मॉडल बनाकर बेरोजगार इंजीनियरों को, शिक्षित लोगों को गोदाम बनाने के लिए लोन के तहत बैंकों से संरक्षण मिले, उनको लोन प्राप्त हो और गोदाम बने ताकि किसान द्वारा उपजाये एक-एक दाने का संरक्षण हो सके और उनको किराये के रूप में व्यवसाय मिले। वह साल के 12 महीने अन्न को संरक्षित करने की योजना के साथ सरकार के साथ जुड़े। ऐसी भी कोई क्रियान्वित एजेंसी बने या क्रियान्वयन योजना बने। हम क्षतिपूर्ति के रूप में लाखों करोड़ों रूपये की राशि ब्याज के रूप में दे देते हैं। जैसे पूर्व में अजय चनद्राकर जी ने बताया कि उस राशि का उपयोग हम युवाओं को खाद्यान्न योजना के साथ जोड़कर करें तो वे अपने आप में पूरे भारत में उत्कृष्ट योजना होगी। मैंने पूर्व में कहा कि विधिक और माप विज्ञान, पेट्रोल पम्प और नाप तोल। जैसा अजय चन्द्राकर जी ने कहा कि कम से कम बाजारों में मेले लगने चाहिए ताकि वह माप तौल के सही माप की मशीनें दुकानों में लगा सके। परंतु होता क्या है कि नापतौल विभाग के अधिकारियों को टेबल के नीचे की व्यवस्था बनाकर उनके ऑफिस में ही नापतोल कर सील लगवा लिये जाते हैं, उनकी भौतिक सत्यापन नहीं की जाती। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि ऐसी व्यवस्था के लिये भी आपकी सरकार में कोई क्रियान्वित व्यवस्था बने।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 32,664 व्यापारियों को उनके माप बांट और अन्य तौल यंत्रों का सत्यापन प्रमाण पत्र जारी किया गया है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह विभाग का प्रशासकीय प्रतिवेदन कहता है। छत्तीसगढ़ में लाखों की संख्या में व्यापारी यहां व्यापार कर रहे हैं। यह संख्या नाममात्र है। यही इस बात को प्रदर्शित करता है कि यहां नापतौल विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार है और इसको सुधारने के लिए जीरो टॉलरेंस के साथ, आने वाले समय में ऐसी कोई व्यवस्था देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत उचित होगा।

माननीय सभापति महोदय, पी.डी.एस. के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 में आयरन, फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफाईड चावल का वितरण कोण्डागांव जिले में प्रारंभ किया गया, जो वर्तमान में सभी जिलों में जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अंत्योदय प्राथमिक राशन कार्डधारियों को मध्याह्न भोजन और पूरक पोषण आहार योजना के अंतर्गत भी फोर्टिफाईड चावल वितरण किया जा रहा है। यह कथन में तो अच्छा है, लेकिन इसका भौतिक सत्यापन होना चाहिए। यह योजना कितने लाभांवितों, हितग्राहियों तक पहुंच रही है ? इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 234 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है। यह अपने आप में स्वागत योग्य कदम है। आने वाले वर्ष 2025-2026 में 200 करोड़ रूपये से ऊपर का बजट अनुमानित है। यह भी स्वागत योग्य कदम है। मैं मधुर गुड़ वितरण पर कहना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ का कवर्धा लोरमी, पण्डरिया गुड़ निर्माण के लिए जाना जाता है। परन्तु यह देखने में आता है कि छत्तीसगढ़ के बजाए कलकत्ता के बाजारों में वहां का गुड़ बिकता है तो इस पर भी कोई

एक व्यावहारिक व्यवस्था हो। यहां पर सरगुजा में भी गुड़ का एक बड़ा निर्माण होता है। जिसमें मिलावट पर जांच की व्यवस्था नहीं है। यह सरकार खरीदी करने के साथ-साथ सत्यापन की भी व्यवस्था के साथ भी नहीं जुड़ी हुई है। इस पर भी आने वाले समय में क्रियान्वयन के साथ एक प्रमाणिक योजना बने ताकि छत्तीसगढ़ का किसान जो गुड़ उत्पादक है उसको अपने मेहनताने का लाभ मिले। छत्तीसगढ़ में शासन योजना के आधार पर उसके गुड़ का उपयोग कर रही है। यह समायोजित हो सके। उनको उसका लाभ मिले। तब इसकी व्यावहारिक व्यवस्था होगी। मैंने विधान सभा में ए.पी.एल. से बी.पी.एल. कार्ड के परिवर्तनकरण का एक प्रश्न उठाया था। माननीय मंत्री जी ने उसमें जांच के भी आदेश दिया था, वह स्वागत योग्य कदम है। मैं, आपके माध्यम से धन्यवाद् भी ज्ञापित करता हूँ। पूर्ववर्ती सरकार में बिलासपुर में 11 हजार ए.पी.एल. कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड में Converted (परिवर्तित) किये गये। यह भ्रष्टाचार का अद्भुत नमूना है। उस समय 35 किलो चावल प्रति व्यक्ति अंगूठा लगाकर लिया गया। पूर्व में 11 हजार कार्डों से वितरित कर दिया गया और इस फर्जीवाड़े पर कोई ध्यान नहीं है तो मैं, आपसे यह स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि इसकी कोई प्रमाणिक योजना बने। ताकि आने वाले समय में दस्तावेजों के प्रमाणिकरण के साथ राशनकार्ड बने। क्योंकि पिछले मामले में तो कहना चाहूंगा कि :-

"इधर की ईट उधर का रोड़ा

भानुमति ने कुनबा जोड़ा" की तर्ज पर पूरी सरकार चल रही थी। उस समय प्रशासिनक अधिकरियों का संरक्षण था। पूर्व की सरकार में राजनीति हवा में थी। उस व्यवस्था को सुधारने के लिए यह बहुत जरूरी है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की रीढ़ की हड्डी यह खाद्यान्न योजना है। अगर हमारी छत्तीसगढ़ की गरीब जनता भूखे सो रही है तो यह हमारी जिम्मेदारी है और हमें नींद नहीं आनी चाहिए। अगर विभाग द्वारा इस लेवल का भ्रष्टाचार स्थापित किया गया है। मैं आपके माध्यम से यह मांग करूंगा कि ए.पी.एल. और बी.पी.एल. कार्ड की जो व्यवस्था है, उसके प्रमाणिकरण की व्यवस्था भी बने। उसके लिए एक ऐसी योजना बने, जिसके माध्यम से काम चल सके, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि इस वित्तीय वर्ष में 4 लाख 73 हजार 612 नवीन राशन कार्ड बने हैं, यह भी अपने आप में उपलब्धि है। राशन कार्डों में 6 लाख 13 हजार 338 नवीन सदस्य जोड़े गये हैं, यह भी अपने आप में उल्लेखनीय विषय है कि माननीय विष्णु देव जी के शासन में सुशासन के साथ खाद्यान्न व्यवस्था से जनता किस तरह जुड़ रही है, यह अपने आप में अद्भुत विषय है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में चना वितरण की योजना चल रही है। पूर्ववर्ती सरकार में जब हम सड़कों पर आन्दोलन करते थे तो सरगुजा और बस्तर में चना भी एक मुद्दा होता था। आने वाले समय में चने के गुणवत्ता की चिंता हो और प्रदेश के लोगों को पौष्टिक चना मिले। इसकी भी चिंता होगी और आपकी योजना के माध्यम से जनता को यह मिलेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के राशनकार्डधारियों को प्रति माह 2 किलो 5 रूपये किलो के मान से चना वितरण

किया जा रहा है जो अपने आप में स्वागत योग्य कदम है। चने का क्रय छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतगर्गत अनुसूचित क्षेत्र माडा क्षेत्र के राशनकार्डधारियों को प्रति माह 6 हजार 141 टन चना आवंटन जारी किया गया है। चना वितरण की योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 400 करोड़ रूपये से ज्यादा का अनुमानित बजट किया गया, जो स्वागत योग्य कदम है। यहां पर नमक का भी वितरण कर रहे हैं । हमारे बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में नमक की क्या मान्यता है। यह मुट्ठी चावल या एक किलो चावल में लघु वनोपज के नाम पर तत्कालीन दलाल ग्रामीणों को लूट लेते थे। यहां पर बहुत सारे वनांचल क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहते हैं। लघु वनोपज के हर प्रकार के उत्पादन को बाजारीकरण के नाम से 1 किलो नमक के नाम पर हजारों रुपये के लघु वनोपज लूट कर ले आते थे। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त योजना के तहत नमक वितरण भी हो। सभापति महोदय, खाद्यान्न एक ऐसी चीज है जो भूखे का पेट भरती है। माननीय दयालदास बघेल जी, विष्णु देव साय जी, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी जी के माध्यम से जो बजट प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका स्वागत करते हुए माननीय मंत्री के विभाग की अनुदान मांग का सर्वसम्मति से पास किये जाने के निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) :- माननीय सभापति महोदय, मैं खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री जी के विभाग की अनुदान मांगों के समर्थन में अपने विचार रखने के लिए अपने समय दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग आम जनता से जुड़ा हुआ एक विभाग है, अगर हम छत्तीसगढ़ के परिदृश्य की ओर देखें, छत्तीसगढ़ नया राज्य बनने के बाद में अगर हम बस्तर के वनाचंल क्षेत्र से चर्चा प्रारंभ करें तो नमक के बदले चिरौंजी की प्रक्रिया वहीं से प्रारंभ हुई थी। वह बस्तर का वनांचल क्षेत्र था, जहां पर नमक नहीं मिलता था, वहां नमक देकर के चिरौंजी खरीदते थे। छत्तीसगढ़ में पलायन होता था, भूखमरी थी। छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी बिल लाने वाला पहला राज्य बना। (मेजों की थपथपाहट) मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि केन्द्र के पहले छत्तीसगढ़ राज्य फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आया था, उस समय डॉ. रमन सिंह जी की सरकार थी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एक बहुत बड़ा विभाग है, उसकी अलग सोच है। छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार होती है, धान का कटोरा है। यहां जितनी वनोपज होती है, उससे ज्यादा धान की पैदावार होती है। जब हम धान के ऊपर बातचीत करते हैं तो सरकार कोई भी रहे, सरकारें आयें, जायें, लेकिन एक स्थाई व्यवस्था होनी चाहिए, सोच स्थाई होनी चाहिए, एक प्लानिंग स्थाई होनी चाहिए। जब हम कोई योजना के ऊपर बातचीत करते हैं तो हमारी कोई एक स्थाई व्यवस्था, योजना होना आवश्यक है। शुरू दिन से ही मालूम है कि छत्तीसगढ़ के अंदर धान की पैदावार होती है और हर साल धान की पैदावार बढ़ती जा रही है। हमें कितना भंडारण करना पड़ेगा, कितनी जगह की आवश्यकता होती है, यह हमारी योजनाओं को पूरा का पूरा एक डाटा

हमारे पास होना चाहिए। अनावारी रिपोर्ट आती है और अनावारी रिपोर्ट के बाद में धान का उपार्जन होता है और धान के उपार्जन होने के बाद में धान की खरीदी होती है। वहीं से खाद्य विभाग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस प्रदेश के अंदर बेरोजगार नौजवानों के बारे में अभी हमारे भाई ने जिस प्रकार से कहा, जहां-जहां हमारे गोदाम निर्माण नहीं हैं, क्यों नहीं हम स्थाई रूप से गोदाम के निर्माण करने की प्रक्रिया प्रारंभ करें और नाबार्ड के माध्यम से जुड़ करके उद्योग विभाग और यह दोनों मिलकर कार्य योजना बनायें और इस प्रदेश के अंदर हमारे को कितने स्थाई गोदामों की आवश्यकता है, अगर हम बेरोजगार नौजवानों को लोन उपलब्ध कराकर एक स्थाई रोजगार के साथ में अगर उसको सरकार जोड़ दें कि तीन महीने के लिए गोदाम के अंदर आपके यहां धान का संग्रहण होगा तो अपने आप प्रदेश में रोजगार भी बढ़ेगा और सरकार का धान रखने के लिए सुरक्षित स्थान सुनिश्चित होगा। हमारे को यह एक स्थाई योजना बनानी पड़ेगी। उसी प्रकार से इस प्रदेश के अंदर चाहे राशन की दुकान हो, छोटी-छोटी राशन दुकान में एक मॉडल के रूप में आपसे आग्रह करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप एक बार गुजरात के अंदर मॉडल को जरूर देखियेगा। गुजरात में राशन दुकान के अंदर किराना दुकान चलती है। राशन दुकान खोलते हैं तो आप उसको कितना पैसा देते हैं। 10X15 की राशन दुकान होगी, उस दुकान में ज्यादा से ज्यादा वह 200 क्विंटल चावल रख सकता है। उसका किराया कितना मिलेगा, उसको कितना परसेन्टेज मिलेगा? हम स्थाई समाधान की ओर आगे बढ़ें। अगर कोई देश के अंदर अच्छे मॉडल चल रहे हैं तो स्वीकार करने में भी पीछे नहीं होना चाहिए। प्रदेश के अंदर धान खरीदी करने के बाद में उसकी मीलिंग की बात आती है। हर साल मिलिंग को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा का विषय बनता है । इसके लिये कोई एक ठोस पॉलिसी या योजना क्यों नहीं है ? एक जमाना था जब छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 300-400 मिल हुआ करती थीं, आज 3000 से ज़्यादा मिल हैं । हमारे धान का कितना उपार्जन होता है उसके बाद हमें कितने की मीलिंग करानी है । हमें केंद्र सरकार को कितना आवंटन देना है, कितना राज्य के पास बचेगा इसके भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए और उसकी कार्ययोजना बननी चाहिए । यह बीच के जो बिचौलियों का खेल है, यह खत्म होना चाहिए और हमारे प्रदेश के अंदर जब इतनी बड़ी संख्या में धान का उपार्जन होता है और छत्तीसगढ़ की सरकार धान खरीदी करती है, यही विभाग करता है । सब-कुछ करने के बाद में इसके खाते में यश नहीं आता, आलोचना का शिकार बनता है और इसीलिए मैं कहूंगा कि जब ठोस नीति, जब आप किसी को कह रहे हैं, आप चर्चा करिए । आप सौ लोगों से पूछिए, आप पचास लोगों से पूछिए, आप सबके सुझाव लीजिए लेकिन किन-किन राज्यों के अंदर चूंकि धान और भी राज्य पैदा करते हैं, हमारा सीमावर्ती प्रांत चूंकि आज हम लोग 3100 रूपये में धान खरीदी कर रहे हैं । हमसे लगे हुए बिहार की स्थिति क्या है ? हमारे यहां झारखंड की स्थिति क्या है ? हमारे यहां उड़ीसा की स्थिति क्या है ? हमारे यहां मध्यप्रदेश की स्थिति क्या है ? हमारे यहां महाराष्ट्र की स्थिति क्या है ? चारों तरफ के

जितने भी हैं अगर आप वहां का एक-बार सर्वे कर लेंगे कि वहां कितनी उपजाऊ ज़मीन है और कितने धान की पैदावार होती है तो आपको कृषि विभाग से आनावारी रिपोर्ट मिल जायेगी और यह जो दो नंबर का धान इस शहर के अंदर एंट्री होता है इसके ऊपर एक ठोस पॉलिसी बननी चाहिए । चूंकि धान का मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि लोग इसमें केवल राजनीति कर रहे हैं लेकिन समाधान कोई नहीं करना चाहता है और मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, चूंकि यहां विभाग के बहुत वरिष्ठ अधिकारी लोग भी हैं । जिनकी सोच है कि वाकई में कुछ हुआ है और कुछ करने की क्षमता है तो क्षमता को परिणित करने के लिए एक टीम वर्क के साथ में काम करते हुए आने वाले समय में हमारी कार्य योजना स्पष्ट होनी चाहिए । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा ।

समय :
1.32 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश के अंदर चावल का वितरण । इस चावल वितरण के माध्यम से इस प्रदेश के अंदर इतिहास लिखा है और इतिहास इस बात का लिखा है कि कोविड कॉल का एक चावल का इतिहास है । उसके ऊपर आपसे लेकर चूंकि हमने भी कई विधानसभा में प्रश्न लगा दिए हैं, जांच की प्रक्रिया चल रही है । आखिर ऐसी क्या जांच चल रही है कि जिसकी Responsibility लेने के लिए कोई तैयार नहीं है । इस जांच का अंत कब होगा ? केंद्र सरकार में आपने डिमांड नोट भेजा, केंद्र सरकार ने आपको चावल सप्लाई किया । प्रति व्यक्ति 5 किलो, प्रति व्यक्ति 5 किलो केंद्र सरकार ने आपको चावल आवंटित किया, राज्य सरकार को पूरा का पूरा चावल मिला । राज्य सरकार ने चूंकि जिस परिवार में एक व्यक्ति था, जिस परिवार में 2 व्यक्ति थे, जिस परिवार में 3 व्यक्ति थे उनका जो केंद्र ने चावल दिया उसका समावेश कहां हुआ ? किसके खाते में हुआ ? यह आज तक क्लियर नहीं हो पाया । आपने कई मिलों को मीलिंग करने के लिये धान दिया, उनकी बैंक गारंटी के साथ में मीलिंग करने के लिये 8 साल हो चुके हैं । आज तक उसका कोई रिजल्ट आऊटपुट नहीं आया । कई जगह उनके खिलाफ ब्लेक लिस्टेड या उनसे वसूली की कार्रवाई प्रारंभ नहीं हो पायी । यह छोटी-छोटी सी चीजें हैं, हम जब तक इनको स्थायी रूप से नहीं करेंगे । चोरी करने वाला चोरी कर रहा है, पहरेदार कहता है कि जागते रहो । जिन लोगों के 5 साल के कर्म थे, माननीय मंत्री जी आपको धोते-धोते 5 साल लग जायेंगे और आपके नीचे के जो अधिकारी हैं, जो इस विभाग के पुराने खास हैं । आप राशन दुकानों में राशन पहुंचाते हैं, कॉर्ड के आधार पर राशन दुकानों में डिलीवरी होती है । वहां पर आपने थम्ब सिस्टम लगाकर रखा है, उसका एलॉटमेंट कितना हुआ, कितना बिका ? कितना स्टॉक में है ? यह आपके यहां हर महीने रिपोर्ट आती है । हर महीने कलेक्टर टी.एल.ई. बैठक के अंदर उसका परीक्षण करता है ।

आपका स्वयं का सॉफ्टवेयर बना हुआ है । जब वह वहां पर हर महीने खाद्य अधिकारी को दुकान में जाकर के परीक्षण करना और इसकी रिपोर्ट कलेक्टर को प्रस्तुत करना और डायरेक्टर स्तर तक अगर आपके पास, आपका स्वयं का पोर्टल है और उस पोर्टल में अगर कमी पाई जाती है तो उस समय के कोई भी डायरेक्टर हैं, उन लोगों ने उस चीज को संज्ञान में क्यों नहीं लिया और कार्रवाई क्यों नहीं की? ये responsibility किसके ऊपर थी? इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आपकी सोच तो अच्छी है, आपके काम करने की इच्छाशक्ति भी है और आपके वर्तमान अधिकारी भी अच्छे हैं, मैं ऐसे भी किसी की खुले में तारीफ नहीं करता, लेकिन कुछ अच्छे अधिकारी हैं, वे चाहे तो इस विभाग को ठीक कर सकते हैं, उनकी क्षमता है। सिर्फ राजनीतिक संरक्षण से ऊपर उठकर ये गरीबों का चावल खाने वाले जो 5 साल तक पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर गरीबों का कोविड काल का चावल खा गए। राशन दुकान में अफरा-तफरी और जिसके अंदर कई अनियमितताएं निकल कर आई हैं। कमिटी अपनी जांच कर रही है, मैं यह नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इस पर एक निष्कर्ष आना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी विधान सभा में प्रश्न उठाया। आपने आपके कार्यकाल में उस समय कई चीजें कीं और खाद्य विभाग ऐसा विभाग है, जिसके अंदर पूर्व सरकार के, वर्तमान कार्यकाल की अगर घंटों चर्चा कर लें तो अंधा बांटे रेवड़ी चुन-चुन कर दें। इस प्रदेश की कार्य योजना बनाकर तीन चीजों पर मेरा खासकर मंत्री जी से आग्रह है कि मिलिंग की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ के अंदर हमें मालूम है कि हमने 1 लाख 70 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा और केंद्र सरकार को हमें कितना सप्लाई करना है, बचे हुए धान का उपार्जन कैसे होगा, उसकी व्यवस्था क्या होगी? ठोस नीति बननी चाहिए और भविष्य की नीति कि इसके आने वाले साल में अगर हम 10 प्रतिशत हम बजट के अंदर संभावना लेकर चलते हैं, वैसे ही संभावना लेकर 10 प्रतिशत बढ़ेगा तो 10 प्रतिशत की व्यवस्था अभी से सुनिश्चित होनी चाहिए। डिपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्लीयर होना चाहिए। अभी एक चीज जो आई है, मिलिंग के लिए आपने धान तो दे दिया है, लेकिन मिलिंग होकर रखा है, पर धान का उठाव, चावल का उठाव नहीं हो रहा है। चावल का उठाव नहीं होने के कारण आपके मिलिंग के अंदर समस्या खड़ी हो रही है। जरा, इस पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी एक आखिरी बात बता देता हूं। साहब, ये आपके यहां का जो ट्रांसपोर्टिंग करते हैं न, वे जितने रूपये में ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, उतने में तो डीजल भी नहीं आता। एक बार बैठकर valuation कर लेना। एक ट्रक एक लीटर डीजल में कितना किलोमीटर चलती है? कितने किलोमीटर में कितना डीजल लगेगा? लोडिंग, अनलोडिंग में कितने आदमी लगेंगे? जरा, एक बार केवल कागज में ही निकाल लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि इसका lacuna कितना लंबा है? आप बहुत ऊर्जावान हैं। आपकी इच्छा भी बहुत कुछ करने की है। पुराने पाप इतने हैं कि उनको धोते-धोते हमारा समय व्यतीत नहीं हो, उनकी तरफ उतना ध्यान मत दो। आप तो ये करिए कि आप गांव, गरीब, किसान, मजदूर का धान खरीद रहे हो और छत्तीसगढ़ महतारी के घर के अंदर उसके चूल्हे के समय उसके यहां

चावल उसको पहुंच जाए। मैं आपको ध्यान दिला देना चाहता हूं कि मिट्टी के तेल को तो शहर में तो बंद कर दिये हो, साहब। ठीक तो ये जाता कहां है? क्योंकि अब तो कैंटीन में नहीं जलता। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। आपके पास खाद्य विभाग भी है, आप भिलाई में जाना और भिलाई में जितने ट्रक चल रहे हैं, एकाक ट्रक को रोक लेना और बस उसका प्रदूषण चेक कर लेना। एक लाइन में कहानी समझ में आ जाएगी। वहां जाकर मेरा नाम मत ले देना कि मूणत जी, विधान सभा में बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग आए हैं। सबको पता है, कहां क्या हो रहा है। सिर्फ इच्छा शक्ति चाहिए। माननीय विष्णुदेव साय सरकार की सोच स्पष्ट है और इस सोच से एक बात क्लीयर है जीरो टॉलरेंस। इस जीरो टॉलरेंस में अगर नीचे तक कोई भी है, विभाग को टाइट करना है तो हर महीने समीक्षा होना चाहिए । राशन दुकानों की रिपोर्ट आनी चाहिए और डायरेक्टोरेट में बैठे हुए जो लोग हैं । जहां अपना धान पड़ा हुआ है, एप्रोच को छोड़कर, उसका एक सराउंडिंग बना लीजिए, जिसका मिल पास में पड़ता है, उसकी मिलिंग की क्षमता कितनी है उसको मिलिंग दे दें, अजय चन्द्राकर जी आपसे जो उम्मीद कर रहे थे ना कि और प्रॉफिट में आ जाएगा, अपने आप प्रॉफिट में आ जाएगा । आपकी अनुदान मांगों का मैं समर्थन करता हूं । मैंने कुछ सुझाव दिए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूर्ण गंभीरतापूर्वक सब लोग मिलकर विभाग की खोई हुई साख को वापस प्राप्त करेंगे, इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद् ।

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं खाद्य आपर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की बजट मांगों पर चर्चा में भाग लेने वाले माननीय अजय चन्द्राकर जी, माननीय पुन्नूलाल मोहले जी, भावना बोहरा जी, गोमती साय जी, माननीय सुशांत शुक्ला जी, माननीय राजेश मूणत जी को धन्यवाद् ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने चर्चा के दौरान अमूल्य सुझाव दिए । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 1 करोड़, 49 लाख, 24 हजार क्विंटल धान की खरीदी की है (मेजो की थपथपाहट) यह रिकॉर्ड है । प्रदेश में इतनी धान खरीदी पहली बार हुई है । मैं इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं । पिछले साल भी हमने 145 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी की थी और भुगतान भी समय पर किया और उसके अंतर की राशि का भुगतान भी एक साथ किया । इस साल भी समर्थन मूल्य की राशि 72 घंटे में दिलाने के लिए काम किया और शेष अंतर की राशि 31 दिसम्बर को धान खरीदी समाप्त हुई है और 07 तारीख को ही अंतर की राशि किसानों के खाता में पहुंची है । (मेजो की थपथपाहट) इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, हमारा विभाग गरीबों के हित में काम करने के लिए है । मैं तो कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अंत्योदय तथा प्राथमिकता राशन कार्ड को दिसम्बर 2028 तक नि:शुल्क चावल वितरण के माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी गरीब राशन कार्डधारियों को दिसम्बर 2028 तक नि:शुल्क चावल का वितरण किया

जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अनुसार पीडीएस के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ प्रदेश के 33 जिलों के हितग्राहियों को अपनी पसंद की दुकान से राशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की प्राथमिकता में हमेशा से किसान रहे हैं । इसलिए हमने छत्तीसगढ़ की उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए 21 क्विंटल प्रति एकड़, 3100 रूपए की दर से खरीदने का वायदा एवं घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी दी थी । हमारी सरकार के बनते ही चालू धान खरीदी में हमने मोदी की गारंटी को पूर्ण कर, 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी का आदेश जारी किया और पहले ही साल में रिकॉर्ड 144.92 लाख मेट्रिक टन धन की खरीदी गई। (मेजों की थपथपाहट) एवं एक बार में अंतर की राशि किसानों के खाते में अंतरित कर दी गई। इसके साथ ही हमने पिछले वर्ष अटल जी के जन्मदिन सुशासन दिवस पर 2 साल का बकाया बोनस भी दे दिया। वह भी किसानों में खाते में चला गया है। (मेजों की थपथपाहट) इस वर्ष भी हमने मोदी की गारंटी को आगे बढ़ाते हुए एवं वर्तमान खरीफ वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 25 लाख 49 हजार 592 पंजीकृत किसानों से 34,348 करोड़ रूपए की 1 करोड़ 49 लाख 24 हजार टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई जो राज्य गठन से लेकर अब तक की सर्वाधिक धान खरीदी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष कुल 24 लाख 72 हजार किसानों से 1 करोड़ 44 लाख 92 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी की गई थी, इससे स्पष्ट है कि इस साल पिछले साल की तुलना में 77,151 से अधिक किसानों द्वारा धान बेचा गया और इस वर्ष पिछले साल की तुलना में 4 लाख 32 हजार मीट्रिक टन अधिक धान खरीदा गया। पिछले साल किसानों द्वारा 27 लाख 92 हजार हेक्टेयर रकबा का धान बेचा गया था जबकि इस वर्ष किसानों द्वारा 28 लाख 76 हजार हेक्टेयर रकबा का धान बेचा गया है। इस वर्ष भी प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल की खरीदी की गई और इस वर्ष राज्य के संचालित 2739 धान खरीदी केन्द्रों में बायोमैट्रिक उपकरण स्थापित कर किसानों से बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के द्वारा धान खरीदी की गई। इस वर्ष किसानों को धान के समर्थन मूल्य की राशि के भुगतान हेतु व्यवस्था को और बेहतर बनाया गया है एवं अधिकांश किसानों को धान बेचने के 72 घंटे की भीतर उनके बैंक खाते में धान की राशि का भुगतान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी केन्द्रों की दैनिक खरीदी सीमा को ध्यान में रखते हुए किसानों को जारी टोकन व्यवस्था में सुधार किया गया है जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ष रिकॉर्ड खरीदी के बावजूद किसान अपनी धान सुगमता से बेचने में सफल रहे। धान के अवैध परिवहन तथा समितियों के बोगस विक्रय को रोकने के लिए सभी जिलों में संयुक्त जांच दल गठित कर धान खरीदी अवधि के दौरान निरंतर जांच की कार्रवाई की गई है तथा 1317 प्रकरण निर्मित किया जाकर 69.251 क्विंटल धान तथा 221 वाहन जब्त किए गए हैं। इस वर्ष धान की रिकॉर्ड खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के माध्यम से धान के त्वरित निराकरण की कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष खरीदे गए 1 करोड़ 49 लाख 24 हजार टन में से दिनांक 06 मार्च, 2025 तक 98 लाख 37

हजार टन धान अर्थात 66 प्रतिशत धान का कस्टम मिलिंग हेतु उठाव हो चुका है। इस वर्ष 6 मार्च, 2025 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा 3 लाख 82 हजार टन तथा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 10 लाख 11 हजार टन चावल सहित कुल 13 लाख 93 हजार टन चावल का उपार्जन किया जा चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की सदैव से सोच रही है कि कोई भी गरीब भूखा न सोए। माननीय अध्यक्ष महोदय आपके नेतृत्व में वर्ष 2008 में जब मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना चालू की गई तो गरीब परिवार के लोग आपको आशीर्वाद के रूप में चाउर वाले बाबा के नाम से जानने लगे। (मेजों की थपथपाहट) आज यह योजना हर व्यक्ति की जुबान पर है। इस योजना को आगे बढ़ाते हुए कोरोनाकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरूआत कर गरीबों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे छत्तीसगढ़ में 2 करोड़, 50 लाख गरीब परिवार लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का दायरा दिसम्बर, 2028 तक बढ़ा दिया है। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी की सरकार ने भी इस योजना की दिसम्बर, 2028 तक निरंतरता हेतु प्रावधान कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी गरीब 72 लाख, 29 हजार अंत्योदय तथा प्राथमिकता राशन कार्डधारियों को दिसम्बर, 2028 तक नि:शुल्क चावल वितरण का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य के गरीब परिवारों को वर्ष 2028 तक अतिरिक्त लाभ मिलेगा। मैं इस योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, फोर्टिफाइड चावल। देश के कुपोषितों की समस्या की गंभीरता को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोर्टिफाइड चावल वितरण की योजना चालू की है। जिसमें फोर्टिफाइड चावल कर्नेल को चावल में मिलाकर चावल का वितरण किया जा रहा है। जिससे स्वास्थ्य सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन देखा जा रहा है। फोर्टिफाइड चावल में पोषक तत्वों से युक्त एफ.एस.एस.ए.आई. के लॉट में जांचा-परखा जाता है। इससे यह आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन-बी-12 इत्यादि से भरपूर होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके संज्ञान में है कि आपके 15 साल के कार्यकाल में जब आप बस्तर दौरे पर जाते थे तो कुपोषण एक बड़ी समस्या के रूप में सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में पैर पसारे हुआ था। आदिवासी भाइयों एवं बहनों को कुपोषण के दंश से बाहर निकालने के लिए आपके द्वारा स्वादिष्ट चना वितरण योजना की शुरूआत की गई थी। जिसके प्रथम चरण में बस्तर और सरगुजा अंचल के आदिवासी विकासखण्डों में गरीब परिवारों को रियायती दरों पर 2 किलो चना प्रति राशन कार्ड प्रदान किया जा रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके ही कार्यकाल में इसका दायरा बढ़ाकर माडा क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया। वर्तमान में 25 लाख से अधिक परिवारों को 5 हजार, 800 मीट्रिक टन चना प्रतिमाह वितरित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी ने इसके लिए

400 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अमृत नमक। यह अमृत नमक है। कांग्रेस शासनकाल में बस्तर हमेशा से उपेक्षित रहा है। वहां के आदिवासियों को कांग्रेसियों ने सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। इनके शासनकाल में आदिवासियों की चिरौंजी को नमक के बदले ले लिया जाता था। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने बहुमूल्य चिरौंजी के बदले सस्ते नमक की अदला-बदली को रोकने के लिए अमृत नमक वितरण की योजना लागू की थी। इस योजना में आदिवासी क्षेत्रों में एवं बी.पी.एल. राशनकार्डधारियों को प्रति माह 8 हजार मीट्रिक टन आयोडीन युक्त नमक नि:शुल्क प्रदान किया जाता है। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रूपये का प्रावधान है। मैं इसके लिए भी माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- हो गय न ?

श्री दयाल दास बघेल :- अभी बचे हे। जल्दी हे का ? सामने तो खाले ए ?

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है कि आपका पाठन पूरा समझ में आ रहा है, लेकिन हम लोग कुछ प्रश्न उठाये हैं, उसका उत्तर दोगे या नहीं दोगे ?

श्री दयाल दास बघेल :- उसका भी जवाब देंगे, आप बैठिये तो सही।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में पी.डी.एस. की अधोसरंचना के विस्तार हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 136 नई उचित मूल्य की दुकानें खोली गई है, जिसके कारण हितग्राहियों को अधिक सुगमता से राशन सामग्री प्राप्त हो रही है। 500 से अधिक कार्ड होने पर दुकानों को विघटित कर नई दुकान प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया है। इससे नये-नये स्वरूप के स्व-सहायता समूह समितियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। वर्तमान स्थिति में 2024-2025 के दौरान फरवरी, 2025 तक 4 लाख 73 हजार नये राशन कार्ड जारी किए गए हैं तथा 6 लाख 13 हजार नये सदस्यों के नाम राशन कार्ड में जोड़े गये हैं। नये राशन कार्ड अथवा नाम जोड़ने के लिए मोबाइल एप के माध्यम से भी उपयोग किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में प्रदेश में संचालित सभी 13,900 संचालित उचित मूल्य की दुकानों में ई-पास मशीन स्थापित किया जा चुका है। प्रत्येक माह औसतन 96 प्रतिशत हितग्राहियों को आधार प्रमाणीकरण के जरिये वितरण किया जा रहा है। ताकि राशन सामग्री के वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता की आशंका न हो। इसके अतिरिकत ई-पास मशीन से कांटों को जोड़ा गया है, जिससे तौल अनियमितता के नियंत्रण में प्रभावशीलता परिलक्षित हो रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई राशनकार्डधारी अन्य राज्यों में जीवकोपार्जन करने जाते हैं। इस कारण से उन्हें राज्यों में ऊंचे दामों में खाद्यान्न सामग्री लेनी पड़ती थी। केन्द्र सरकार द्वारा इस समस्या के निदान हेतु 'वन नेशन वन राशन कार्ड' चालू की गई है। राज्य सरकार द्वारा भी इस योजना

को लागू किया गया है। राज्य में 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना के अन्तर्गत आधार प्रमाणीकरण के जरिये राशन सामग्री का वितरण प्रारंभ करने के उपरांत प्रदेश के सभी जिलों में हितग्राहियों को अपनी पसंद की राशन दुकान में राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। माह जनवरी, 2025 में प्रदेश में 9 लाख 20 हजार राशन कार्डधारी परिवार द्वारा अपने मूल दुकान के बजाय अपनी पसंद एवं सुविधा अनुसार अन्य दुकान में राशन सामग्री का उठाव किया गया है। साथ ही हमारे राज्य के कार्डधारी या अन्य राज्य के एवं अन्य राज्य के कार्डधारी हमारे राज्य में कहीं से भी अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी उचित मूल्य दुकान के बचत स्टॉक का भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष कराये जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है। ताकि दुकानों में शेष राशन सामग्री का सही हिसाब रखा जा सके एवं बचत राशन सामग्री के दुरूपयोग की स्थिति निर्मित न हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न के बम्पर उत्पादन को देखते हुए भण्डारण क्षमता को बढ़ाये जाने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। ताकि खाद्यान्नों का रखरखाव उचित ढंग से हो सके। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार बीज निगम की 139 शाखाएं राज्य में संचालित है। फरवरी, 2025 की स्थिति में निगम के सर्व निर्मित भण्डारण क्षमता 24.77 लाख टन है एवं 1.95 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण किया जा रहा है।

समय :
2:00 बजे

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारण गृह निगम द्वारा प्रदेश के चावल उपार्जन हेतु गोदामों की आवश्यकता को हमने ध्यान में रखते हुए 10.30 लाख टन क्षमता के नये गोदामों के निर्माण की कार्ययोजना तैयार की है, ताकि प्रदेश के खाद्यान्न भण्डारण की क्षमता को बढ़ाया जा सके। हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री विष्णु देव साय जी एवं वित्त मंत्री जी ने बजट में इसके लिए 300 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। गोदाम निर्माण के अतिरिक्त निगम में 20 इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटा की स्थापना भी की गई है। उपरोक्त सुविधा के लिए राज्य आयोग और जिला आयोग में ऑनलाईन शिकायत दर्ज कराने के लिए ई-दाखिल पोर्टल संचालित है। जिला उपभोक्ता आयोग के राज्य गठन से लेकर दिसंबर, 2024 तक दर्ज प्रकरणों में से 7281 प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरण निराकृत हो चुके हैं। इसी प्रकार राज्य उपभोक्ता आयोग के दिसंबर, 2024 तक कुल 18,034 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें 17,680 अर्थात् 99 प्रतिशत प्रकरण निराकृत किए गए हैं। प्रदेश में उपभोक्ताओं प्रकरणों की शीघ्र निराकरण हेतु पांच जिला उपभोक्ता आयोग को पूर्णकालिक कर उनके लिए 10 पूर्ण कालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है। राज्य उपभोक्ता आयोग में एक अतिरिक्त सदस्य का पद सृजित किया गया है, ताकि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जा सकें। मैं नाप-तौल के बारे कहना चाहूंगा कि बांट माप एवं तौल उपकरणों के सत्यापन की सेवाओं को ऑनलाईन प्रदाय करने

की सुविधा विभाग द्वारा जुलाई, 2017 से प्रारंभ की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 534 बांट माप सत्यापन शिविरों के आयोजन लक्ष्य के विरूद्ध जनवरी, 2025 तक 314 शिविर का आयोजन कर लगभग 88,121 व्यापारियों के बांट माप का सत्यापन किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 14.44 करोड़ रूपये के आज लक्ष्य के विरूद्ध जनवरी, 2025 तक 10 करोड़ 70 लाख रूपये की राजस्व प्राप्ति हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- आपके विचारों से सब सहमत हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री दयाल दास बघेल :- जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। आपको बहुत-बहुत बधाई। जब सदस्य लोग भाग लेते हैं, उसके बारे में भी माननीय मंत्रीगण कुछ बोलते हैं कि आपने कहा है, उसका उत्तर ऐसा है। मैंने आपको पूछा है कि अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता प्रतिशोध आयोग एवं छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग श्री गौतम चौरणिया कौन हैं और गुरमीत सिंह बामरा कौन हैं? क्या यह संवैधानिक पद है? क्या इनके कार्यकाल को बिना हाई कोट या ऐसे चीजों के बगैर हटाया नहीं जा सकता है? क्या कोई आयोग है? यदि उनका कार्यकाल निर्धारित है या आप इनको हटा नहीं सकते हैं तो इनकी क्या स्थिति है? दूसरा, आप जो लाभांश कमाते हैं, उस राशि का क्या उपयोग करते हैं? आप एच.डब्ल्यू.सी. से जो लाभांश कमाते हैं, उस राशि का क्या उपयोग करते हैं?

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे विद्वान सदस्य को अलग से पूरा उत्तर दे दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, एक मिनट। आप सुन लीजिये। इतनी क्या जल्दी है?

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने प्रदेश के किसानों और आम जनता की हितों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार राज्य के सभी परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगी तथा किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम दिलाने के साथ-साथ आने वाले वर्षों में धान खरीदी और पी.डी.एस. व्यवस्था को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की चर्चा में हमारे साथियों द्वारा बताये गये महत्वपूर्ण सुझावों पर विचार अवश्य किया जायेगा, अत: मैं कटौती प्रस्ताव लाने वाले, कोई नहीं है...। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- हमीं मन ला गिन ले । (हंसी)

श्री दयालदास बघेल :- इसके साथ ही सदन से आग्रह करता हूँ कि ...। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- कटौती वाले मंत्री जी । (हंसी) (व्यवधान)

श्री दयालदास बघेल :- एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये प्रस्तावित राशि को सर्वसम्मति से पारित किया जाये । (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट, एक मिनट । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष नहीं है, हम लोग हीं हैं, अमूमन यह होता है कि जो सदस्य चर्चा में भाग लेते हैं तो उसका उल्लेख भी होता है और जो विषय उठाते हैं, उसका उत्तर भी देते हैं । यदि कोई माननीय मंत्रीगण सदस्य का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो उसको टेबल करवा दें या गिलोटिन में पारित करवा देना चाहिये ।

श्री दयालदास बघेल :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वरिष्ठ को बोला हूँ कि उसका जवाब दूँगा । मैं राईटिंग में दे दूँगा, यह बोला हूँ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरे को अलग से मिलकर उत्तर में कोई रूचि नहीं है, रूचि फ्लोर में है ।

श्री रामविचार नेताम :- आपको एकांत में दे देंगे । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

अध्यक्ष महोदय :- चूँकि कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य उपस्थित नहीं है, अत: मैं कटौती प्रस्ताव पर मत न लेते हुये सीधे मांगों पर मत लूँगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय के लिये- चार हजार पांच सौ तिरालीस करोड़, सड़सठ लाख, छियालीस हजार रूपये तक की राशि दी जाये ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा आज कार्यवाही से अनुपस्थिति के बाद उनके द्वारा मुझसे व्यक्तिगत भेंटकर शेष विभागों के अनुदान मांगों की चर्चा के लिये अपनी इच्छा व्यक्त की है । संसदीय परम्पराओं के दृष्टिकोण से उनका अनुरोध मान्य किया गया, अत: शेष मांगों पर चर्चा आज के स्थान पर कल होगी ।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 11 मार्च 2025 को 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित ।

(2 बजकर 8 मिनट पर विधान सभा मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2025 (फाल्गुन 20, शक सम्वत 1946) के पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)

दिनांक : 10 मार्च, 2025

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं